

# ि उज्जीकर दक्षि लक्षि वुप्रक

े-ि त फि पक्का वफ/कफ; ए] 1931 धि  
/क्कि क 64 दस व/कहु

Revised Executive Instructions  
Under Section 64 of  
M.P. Irrigation Act, 1931

\* \*

(म.प्र. सिंचाई विभाग की अधिसूचना क. 3256—3544—33 सा 69  
दिनांक 25.10.69 द्वारा प्रसारित एवं तत्पश्चात् सिंचाई विभाग के  
ज्ञाप क. सी.आर. /38/78/म.ल./31/दिनांक 12.7.79 एवं  
सी.आर. /38/78/वृ.म./39 दिनांक 4.8.83 द्वारा संशोधित)

## િ પુજારી દક્ષ; દક્ષ વુપરી ક

e/; i n's k fl pkbz vf/kfu; e 1931 dh /kkjk 64 ds v/khu  
½Revised Executive Instructions½

<sup>1</sup>(क. 3256—3544 तैतीसा—सा—69 दिनांक 25.10.69 मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (3 सन् 1931) की धारा 64 के अधीन समस्त पूर्व कार्यकारी अनुदेशों को अधिकमित करते हुए राज्य शासन उक्त धारा के अधीन सहर्ष पुनरीक्षित कार्यकारी अनुदेश जारी करता है। (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.69 में प्रकाशित))

————— o —————

1. सिंचाई विभाग द्वारा उसके प्रभार के क्षेत्रों में घास और लकड़ी काटने, पशु चराने, खेती करने तथा तालाबों और नहरों में मछली पकड़ने, सभी प्रकार के फल तोड़ने और कोई अन्य वनोपज वहां से लेने के लिये पट्टे मंजूर किये जाते हैं तथा प्राप्य रकमों के संग्रहण हेतु व्यवस्था की जाती है।

fVII .kH :— (एक) शासकीय वनों के समीपस्थ तालाबों और तालाब तलों के संबंध में मछली पकड़ने अन्य जलाधिकारों तथा तालाबतल में खेती करने के लिए पट्टे मंजूर करने की शक्ति केवल सिंचाई विभाग को ही प्राप्त है। फल, शहद, लाक, गोंद, हरा, लकड़ी, तेंदु पत्ता, बांस आदि जैसी वनोपज की बिक्री का उत्तरदायित्व वन विभाग का है। एफ.टी.ए.ल. से नीचे के तालाब तल के क्षेत्रों में चराई के पट्टे मंजूर नहीं किये जायेंगे किंतु तालाब तल में खेती करने वाले पट्टेदार, उन तालाब तलों में, जहां कोई चारागा हो, अपने पशु चराने के अधिकारों का उपयोग करते रहेंगे। वन विभाग द्वारा जारी किये गये चराई लाईसेंसों के अधीन शासकीय वनों में चराई के लिये अनुमति पशुओं को तालाब का पानी पीने की अनुमति होगी।

टिप्पणी (1) :— इस अनुदेश को दिनांक 25.10.69 को प्रसारण के पश्चात् मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग ने ज्ञाप क्र. सी.आर./38/78/मल/31 दि. 12.7.79 में कंडिका 2, 2.2, 2.3, 2.4 एवं 6 को विलोपित कर नई कंडिकाओं का अंतरण किया गया। तत्पश्चात् पुनः इन कंडिकाओं को, सिंचाई विभाग के ज्ञाप क्र. सी.आर./38/74/वृम/39/दिनांक 4.8.83 द्वारा अधिकमित कर केवल कंडिका 2.2(अ), (ब), (स) नई कंडिका ही जोड़ी गई।

(2). इस कार्यकारी अनुदेश में संशोधन के साथ—साथ, शासन ने चार अन्य स्पष्टीकरण भी अर्थात् (i) गांधी सागर डूब क्षेत्र के पट्टे बीस सूत्रीय समितियों द्वारा दिया जाना (ii) चराई के बदले घास कटाई की नीलामी, (iii) सिंचाई विभाग के जलाशयों को मत्त्य पालन हेतु मछली पालन विभाग को हस्तांतरण करने एवं लकड़ी कटा तेंदु पत्ते का संग्रह पूर्ववतः नीलाम करने बाबत, प्रसारित किये हैं। इन्हें इस अनुदेश के अंत में जोड़ा गया है। डूब क्षेत्र में काशत हेतु आवेदन/करार का प्रस्तावित प्रारूप भी यहां जोड़ा गया है। कृपया यह सब भी देखें।

(दो) शासकीय वनों से होकर बहने वाली सिंचाई नहरों की ओर शासकीय वनों के समीपस्थि र सिंचाई विभाग की किसी अन्य भूमि की वनोपज की बिक्री वन विभाग, अपनी इच्छानुसार कर सकेगा। ऐसे समस्त मामलों में, वन विभाग राजस्व का ऐसा अनुपातिक हिस्सा, जो वन मंडलाधिकारी द्वारा कार्यपालन यंत्री के परामर्श से नियत किया जाये, सिंचाई विभाग के वाम आकलित करेगा। उनके बीच विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मामला वन संरक्षक और अधीक्षण यंत्री को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

## 2. विलोपित

2.1 जब भूमि खेती के लिये पट्टे पर दे दी जाये, तब पट्टेदार उस पर, यथास्थिति, केवल खाद्य फसलों, जैसे धान, गेहूं, ज्वार तथा मक्का आदि का भी उत्पादन कर सकें।

2.2 (अ) तालाब के तल अथवा डूब से बाहर की खेती के लिये पट्टा देते समय अधिमान निम्न क्रम से दिया जावे :—

(क). ऐसे व्यक्ति जिनकी जमीन तालाब में डूब गई है —

(ख). उसी गांव के ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी संस्थाए, जो —

1. अनुसूचित आदिम जाति,
2. हरिजन जाति के हों,

(ग). उसी गांव के ऐसे भूमिहीन व्यक्ति, जो —

1. अनुसूचित आदिम जाति,
2. हरिजन जाति के हों,
3. विकलांग,
4. स्वतंत्रता संग्राम सैनिक,
5. सैनिक,
6. ऐसे कृषि स्नातक जो उस गांव के निवासी हो,
7. अन्य

(ब) (1) प्रत्येक कृषक को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल उसके डूब में आई भूमि का आधा होगा, परंतु शर्त यह है कि उसके पास आबंटन के बाद अन्य भूमि मिलाकर कुल 7.5 एकड़ से अधिक भूमि न हो एवं एक एकड़ से कम न हो।

(2) चूंकि प्रत्येक सदस्य के संबंध में पृथकता से विचार किया जाता है। अतः भूमि आबंटन सहकारी संस्थाओं को इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक सदस्य की कुल उपरोक्त 2.2 (ब) (1) में विनिर्दिष्ट मान के अनुसार हो।

(3) यदि किसी मामले में एक से अधिक सहकारी संस्थायें किसी एक ही भूमि के आबंटन की मांग करें तो ऐसी सहकारी संस्थाओं को अधिमान दिया जायेगा, जिसके प्रत्येक सदस्य के पास अन्य संस्था के सदस्यों के अपेक्षा उपलब्ध कम भूमि हो।

fVII .k॥ :— यदि किसी समय कुछ भूमि पट्टे पर देने के बाद बच रही हो तो वह उस बांध के सरहद से पांच कि.मी. के अंदर आने वाले गांव के लोगों को उक्त 2.2 (अ) के अनुसार आबंटित की जाय एवं यदि उसके बाद भी कुछ जमीन बचती है तो पांच कि.मी. की दूरी के बाहर वाले गांव को उक्त 2.2 (अ) के अनुसार आबंटित की जावे।

(स) शासन के सुविधा अनुसार ढूब या ढूब के बाहर की भूमि के पट्टे पर एक से तीन साल तक के अवधि के लिये निम्न शर्तों पर दी जायेगी :—

1. प्रथम वर्ष में पट्टे पर दी जाने वाली जमीन की दर उस क्षेत्र के भू—राजस्व के दर का दुगना होगा परंतु यह दर रूपये 10) प्रति एकड़ से कम नहीं होगी। दर निर्धारण सिंचाई विभाग के उसी सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा जो पट्टे पर जमीन आबंटित करने के सक्षम है।

नोट :— यदि तालाब तल में पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का भू—राजस्व का दर उपलब्ध नहीं है तो आस पास की समकक्ष भूमि का भू—राजस्व लिया जा सकता है एवं उसे जिलाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

2. दूसरे साल में भूमि का पट्टा पिछले वर्ष की प्रति एकड़ निर्धारित दर पर से रूपये 5.00 प्रति एकड़ अधिक बढ़ाकर दिया जाये।

3. इसके पश्चात् प्रति वर्ष 5.00 रूपये प्रति एकड़ अधिक दर से भूमि पट्टे पर दी जावे अर्थात् पहले वर्ष से 5.00 रु. प्रति वर्ष प्रति एकड़ की बढ़ोत्तरी अगले दो वर्ष तक की जावेगी। प्रत्येक 3 वर्ष में परिस्थिति के अनुसार दर का पुनः निर्धारण किया जावेगा।

4. यदि कोई पट्टेदार निर्धारित समय के अंदर पट्टे की राशि जमा नहीं करता तो उसे आगे भूमि पट्टे पर नहीं दी जावेगी।

2.3 विलोपित।

2.4 विलोपित।

2.5 सिंचाई विभाग द्वारा अर्जित या धारित नहर भूमि में, जो कृषि प्रयोजनों के लिये वर्ष के कुछ महीनों के लिये या कुछ वर्षों के लिये पट्टे पर दी गई हो, मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 के अधीन कोई मौरूसी हक प्रोधभूत नहीं हो सकेगा।

2.6 ऐसे तालाबों को छोड़, जो मत्स्य संवर्धन कार्यों हेतु मत्स्य उद्योग विभाग के कब्जे में हों, अन्य तालाबों पर मछली पकड़ने के अधिकारों के लिये कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण

यंत्री द्वारा मत्स्य उद्योग विभाग के परामर्श से एक वर्ष या अधिक वर्ष के लिये दिये जायेंगे किंतु यह अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि, पट्टे की रकम में प्रति वर्ष उतनी रकम बढ़ा दी जायेगी, जो पिछले वर्ष के पट्टे के रकम के 10 प्रतिशत के बराबर होगी।

2.7 अन्य बातें समान होने पर अधिमान निम्नलिखित कम से दिया जायेगा –

- (क) मछुआ सहकारी संस्थाएं या संघ।
- (ख) ग्राम पंचायतें।
- (ग) कोई अन्य सहकारी संस्था।

fVII .kh – तथापि, मछुआ सहकारी संस्थाएं या संघ, संस्थाओं या संघों की उप विधियों द्वारा यथा नियंत्रित अपने कार्य के संबंध में, मत्स्योद्योग विभाग से प्राप्त प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2.8 यदि ऐसे स्थिति हो कि कोई मछुआ सरकारी संस्था या संघ विद्यमान न हो या वह पट्टा स्वीकार करने के लिये सामने न आये तो मछली पकड़ने के अधिकारों की नीलामी व्यक्तियों को की जायेगी।

2.9 सिंचाई नहरों के मामले में एक वर्ष के लिये लाईसेंस या पट्टे मत्स्योद्योग विभाग के परामर्श से दिये जा सकेंगे।

3. एक वर्ष के लिये 125.00 रूपये तक का पट्टा—उप संभागीय अधिकारी या नहर डिप्टी कलेक्टर द्वारा मंजूर किया जा सकेगा। अन्य प्रत्येक पट्टे की नीलामी की सूचना पीठासीन अधिकारी को बोली लगाने वालों द्वारा लगाई गई बोलियों की सूची सहित, यथासंभव शीघ्र कार्यपालन यंत्री को भेजनी होगी। कार्यपालन यंत्री, पट्टे की अवधि 1 वर्ष की होने पर 5,000 रु. तक का पट्टा तथा पट्टा की अवधि एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से अधिक न होने पर 1000.00 रूपये प्रतिवर्ष तक का पट्टा दिया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाने के पश्चात् विहित फार्म में पट्टा दिया जायेगा, जिस पर संबंधित विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। किसी असामान्य स्वरूप के पट्टे के मामले में सर्वाधिक उपर्युक्त फार्म का उपयोग उसमें समय—समय पर प्राधिकृत किये गये परिवर्धन और परिवर्तन करने के पश्चात् किया जायेगा।

वह अधिकारी, जिसे पट्टा मंजूर करने की शक्ति प्राप्त हो, सबसे ऊंची बोली या कोई अन्य बोली स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा और वह बोली लगाने वालों को कोई कारण बताये बिना कोई बोली अस्वीकार कर सकेगा किंतु उसे बोली स्वीकार नहीं करने का कारण अभिलिखित करने चाहिए।

4. राजस्व का भुगतान निम्नानुसार किया जाना चाहिए :—
- (क) ऐसे समस्त पट्टों के लिये जिसका मूल्य 50 रुपये से अधिक न हो — करार पर हस्ताक्षर करते समय।
  - (ख) नीचे खंड (ग) में उल्लेखित पट्टों को छोड़कर अन्य समस्त पट्टों के लिये 2 से अधिक न होने वाली 2 समान किस्तों में, जिसमें से पहली किस्त का भुगतान करार पर हस्ताक्षर करने के समय किया जायेगा तथा दूसरी किस्त का भुगतान पट्टे की आधी अवधि समाप्त होने पर किया जायेगा।
  - (ग) दो या दो से अधिक मौसमों के पट्टों के लिये दूसरे तथा अनुवर्ती वर्षों में, — संबंधित वर्ष की तारीखों को तथा पट्टे की प्रथम वर्ष के लिये नियत किस्तों द्वारा।

5. रकमों के संग्रहण के लिये नियत की गई तारीखों के तत्काल पश्चात् अनुभागीय अधीनस्थ को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कौन सी रकमें वसूल कर ली गई हैं और कौन सी बकाया हैं। उप संभागीय अधिकारी यह प्रतिवेदन कार्यपालन यंत्री को अग्रेषित करेगा और कार्यपालन यंत्री कलेक्टर से (अथवा नहर डिप्टी कलेक्टर, यदि उसे इस हेतु शक्ति प्राप्त हो) कहेगा कि वह बकाया रकमों को भू—राजस्व की बकाया की भाँति तत्काल वसूल करें।

6. विलोपित।

7. कार्यपालन यंत्री बकाया रकमों तथा की गई वसूलियों की एक कार्यशः पंजी फार्म क. सत्रह ई.लो.नि.वि. 145 में रखेगा और राजस्व के प्रत्येक विभिन्न स्त्रोत उदाहरणार्थ तालाब तल में खेती, घास के पट्टे आदि के संबंध में पट्टों की प्रविष्ट के लिये पृथक—पृथक पृष्ठ रखेगा।

8. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विविध राजस्व का काई स्त्रोत नजर अंदाज नहीं किया जाता है और जब कभी राजस्व में कोई गिरावट आती है तब जांच की जाती है। प्रत्येक संभाग में एक पृथकंजी रखी जानी चाहिये, जिसमें ऐसे राजस्व के समस्त स्त्रोतों के ब्यौरे (1) कार्यशः तथा (2) राजस्व के विभिन्न स्त्रोतों के अनुसार प्रविष्ट किये जाने चाहिये। प्रत्येक वर्ष वसूल की जाने वाली रकमें, प्रत्येक स्त्रोत के सामने पृथक खानों में दर्ज की जानी चाहिये। बोली न लगाई जाने की स्थिति में इस आशय की अन्युक्ति दर्ज की जानी चाहिये। इससे राजस्व का कोई स्त्रोत नजर अंदाज नहीं होने पायेगा तथा यदि राजस्व में कोई गिरावट आई हो तो वह तत्काल ज्ञात हो जायेगी। गिरावट के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये और अभिलिखित किये जाने चाहिये।

तालाब तल की खेती के लिये भूमि का पट्टा कुछ रु. प्रति एकड़ की निश्चित दर पर दिया जाता है। तुलना की दृष्टि से पंजी के एक खाने में पट्टे पर दिया गया क्षेत्र दर्ज किया जाना चाहिये तथा दूसरे खाने में वे दरें (न कि रकमें) दर्ज की जानी चाहिये जिनके अनुसार प्रति वर्ष वसूली की जाती है।

9. यदि खेती के लिये पट्टे पर दी गई भूमि पर खेती नहीं की गई हो तो करार की शर्तों के अनुसार पूरा लगान वसूल किया जायेगा, किन्तु ऐसे मामलों में, जिसमें खेती के लिये पट्टे पर दी गई भूमि 31 अक्टूबर को जल में डूबी रही हो और इस कारण बाद में संबोधित कृषि मौसम के दौरान उस पर खेती न की गई हो, लगान से पूरी छूट दी जायेगी।

fVII .k॥ – फसल बिंगड जाने के मामले में कार्यपालन यंत्री द्वारा धारा 47 के अधीन विहित मान के अनुसार छूट दी जा सकेगी।

10. अन्य पट्टे के मामले में छूट के लिये आवेदन पत्र उपसंभागीय अधिकारी को संबोधित किये जायेंगे जो यदि यह आदेश देने के लिये सक्षम न हो, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझें, मामला अपने प्रतिवेदन तथा सिफारिश के साथ कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करेगा और आवेदकों को की गई कार्यवाही के संबंध में सूचित करेगा।

11. पट्टे पर न दी गई भूमियों पर अप्राधिकृत खेती करने के मामलों में या नीलामी के पूर्व भूमि पर बलात दखल के मामलों में उस स्थान में खुली नीलामी द्वारा नियत रकम से दुगनी रकम की दंडिक दर उद्ग्रहीत की जायेगी। यदि आगे भी अप्राधिकृत खेती की जाये तो उपर्युक्त दर से तिगुनी दर उद्ग्रहीत की जायेगी। इस प्रकार उद्ग्रहीत दाण्डिक दरें भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल की जा सकेंगी। बोली न लगाई जाने की स्थिति में कार्यपालन यंत्री जिले के कलेक्टर के परामर्श से ऐसी दरें निर्धारित करेगा। जो ऐसे अप्राधिकृत कब्जे के लिये उद्ग्रहीत की जा सकेंगी।

12. नीलामी की जाने के मामले में नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्वी वर्ष की नीलामी की रकम या पट्टा रकम की 2 प्रतिशत रकम या प्रथम नीलामी के मामले में कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्धारित रकम बयाने के रूप में जमा की जायेगी। इस प्रकार जमा की गई बयाने की रकम असफल बोली की नीलामी की समाप्ति पर वापस कर दी जायेगी, जब कि सफल बोली लगाने वाले की रकम जमा रखी जायेगी, जो अवधि समाप्त होने के तीन माह बाद प्राप्य रकम, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् वापस की जा सकेगी। बयाने की रकम बोली लगाने वाले द्वारा पट्टा स्वीकार न किये जाने की स्थिति में या अनुबंध किये अनुसार किस्तों का भुगतान न किये जाने पर सम्पहृत कर ली जायेगी। यदि ऐसी स्थिति आये कि बोली लगाने वाले से प्राप्य रकमें से बयाने की रकम कम हो तो शेष रकम उससे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जायेगी।

ckn ds Li f"Vdj . k

I. fo"k; &xk/kh I kxj tyk'k; M c dh Hkfe dh [kkyh Hkfe dks i VVs i j fn; s tkus ckcr} i VVs dh nj fu/kkfjr djus ckcrA

राज्य शासन द्वारा गांधी सागर जलाशय की ढूब की भूमि के पट्टे पर दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया है :—

1. भूमि आबंटन का कार्य 20 सूत्रीय समिति की सिफारिश पर सिंचाई विभाग द्वारा किया जावे एवं वसूली भी निर्धारित मापदंड अनुसार सिंचाई विभाग के विभागीय शीर्ष में राशि जमा करेंगे।
2. निर्देशित किया जाता है कि 20 सूत्रीय समितियों की आबंटन संबंधी बैठकों में सिंचाई विभाग का अधिकारी उपस्थित रहें। ताकि विभागीय मापदंड परीक्षण स्थल पर ही लिया जा सके। इस हेतु कार्यपालन यंत्री प्रत्येक विकास खंड में नाम से सहायक यंत्री नियत करे।

(म.प्र. शासन, वृहद एवं मध्यम सिंचाई विभाग क्रमांक सी आर 169/80/वृम/31 दिनांक 25.11.83)

II. म.प्र. शासन सिंचाई विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ/सी.आर./38/78/मल/31 दिनांक 14.4.80 में निम्न स्पष्टीकरण दिया गया :—

“धारा 64 के अधीन बनाये गये कार्यकारी अनुदेश की कंडिका 2, 2.2, 2.3, 2.4 एवं 6 अधिकमित करते हुए शासन द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णय उपरांत इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ/सी.आर./38/78/मल/31 दिनांक 12.2.79 द्वारा संशोधन किया गया है। यह केवल तालाब तल में आई हुई ढूब की जमीन को पट्टे पर दिये जाने बाबत है। अतएव इसे स्पष्ट करते हुये यह आदेशित किया जाता है कि कार्य अनुदेश की कंडिका 2 में अन्य प्रयोजन जैसे मछली पकड़ने, पशु चराने, लकड़ी संग्रह करने, तेंदु पत्ता संग्रह आदि के बारे में नीलामी की प्रथा यथावत रहेगी।”

अतः दिनांक 25.10.79 को प्रसारित कार्यकारी अनुदेश की कंडिका 2 जिसे पूर्व में विलोपित किया गया, का इससे संबंधित भाग, सूचनार्थ नीचे दिया जा रहा है।

2. प्रत्येक पट्टा एक नियत अवधि के लिये होना चाहिये तथा उसकी नीलामी उस अवधि के प्रारंभ होने के छः सप्ताह पूर्व की जानी चाहिये। नीलामी का समय, तारीख और स्थान की सूचना, नीलामी की वास्तविक तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व उद्घोषणाओं द्वारा अनुसूचित की जायेगी तथा जिले में और यदि आवश्यक हो, तो आस पास के लिंग में उसका व्यापक प्रचार किया जायेगा। नीलामी किसी समुचित स्थान पर की जायेगी, जो कार्यपालन यंत्री द्वारा बोली लगाने वाले की सुविधा की और आधिकारिक स्पर्धा को दृष्टि में

रखकर निश्चित किया जायेगा। नीलामी सामान्यतः ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी जो उप संभागीय अधिकारी से निम्न पद का न हो, किन्तु कार्यपालन यंत्री की पूर्वानुमति से उप संभागीय अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि जिस नीलामी में 1,500 रु. से अधिक रकम प्राप्त होने की संभावना न हो वह किसी अधीनस्थ द्वारा की जा सकेगी। पट्टे के फार्म की एक प्रति नीलामों के स्थान पर निरीक्षणार्थ रखी जायेगी तथा नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व उस अवधि की घोषणा की जायेगी, जिसके लिये पट्टा दिया जाना है और पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को इन अनुदेशों के पैराग्राफ 4, 6 और 9, 10 का सार समझा जायेगा। बोली लगाने का कार्य उन शर्तों की पूर्ण और अप्रतिबंधित स्वीकृति समझा जायेगा, जो इन पैराग्राफों में दी गई है। अधिक प्रचलित पट्टों के लिये निम्नलिखित अवधियां समान्यतः उपयुक्त होती हैं।

मछली पकड़ने, पशु चराने तथा लकड़ी के संग्रह के लिये	1 जुलाई से 30 जून
घास काटने के लिये	1 जुलाई से 31 जनवरी
तेंदु पत्ता संग्रहण तथा (जैसे आम, महुआ और आचार एकत्र करने के लिये)	1 मार्च से 31 जुलाई
लाख की खेती तथा शहद संग्रहण के लिये	1 नवंबर से 31 अक्टूबर
हरा संग्रहण के लिये	1 जुलाई से 30 अप्रैल

### III. fo"k; % pj kbz dñ uhykeh

प्रदेश के सिंचाई कार्यों पर जहां चराई की नीलामी स्वीकृत की जाती है, वहां जानवरों के आवागमन के कारण बांधों एवं नहरों को क्षति पहुंचती है।

शासन ने निर्णय लिया है कि भविष्य में सिंचाई बांधों तथा नहरों पर चराई की लीज नीलाम न की जाकर सिर्फ घाट कटाई की नीलामी की जावे।

(शासन सिंचाई विभाग का प्रमुख अभियंता, सिंचाई के नाम पत्र क. सी.आर./ 18/84 / वूम/ 31 दि. 26.3.84)

### IV. विषय : fl pkbz tyk'k; kñ dk eNyhi kyu foHkkx dks eR; i kyu gsrq gLRkkarj .k djus ckcr~

राज्य शासन सभी सिंचाई जलाशयों को :—

1. सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित समस्त जलाशय।
2. वे सिंचाई जलाशय जो सिंचाई विभाग द्वारा मत्स्यपालन हेतु लीज पर दिये गये हैं, उनकी लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात्
3. सिंचाई विभाग द्वारा भविष्य में निर्मित होने वाले सभी जलाशय पूर्ण होने पर।

निम्नलिखित शर्तों पर हस्तांतरण करने की स्वीकृति प्रदान करता है –

1. मस्त्यपालन विभाग द्वारा जलाशय के रख रखाव, सिंचाई के लिये पानी वितरण इत्यादि में कोई बाधा नहीं डाली जायेगी।
2. यदि कार्य के डूब अथवा कमांड क्षेत्र मछलीपालन हेतु कोई निर्माण कार्य अथवा सुधार कार्य करना हो तो वह मत्यसयपालन विभाग अपने खर्च पर सिंचाई विभाग की लिखित अनुमति प्राप्त कर ही करेगा।

(शासन सिंचाई विभाग का प्र.अ./समस्त मु.अ. को नाम पत्र क. 10/6/32/सा/82 दि. 10.6.82 जिसकी प्रति संचिव मछली पालन विभाग को भी पृष्ठांकित है)

(मु.अ. चंबल बेतवा कछार, भोपाल के पत्र कमांक 697-आई/रा.को. (च.बे.) 87 दिनांक 17.8.87 द्वारा शासन की डूब के पट्टे हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत प्रारूप)

Vkono u i =

फार्म नं.....

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

.....

विषय :— जलाशय की डूब से खुली भूमि पर वर्ष ..... के दौरान खरीफ/रबी फसल की कृषि करने बाबत।  
उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी श्री/श्रीमति..... पिता/पति ..... आयु..... निवासी.....ग्राम.....तहसील.....  
.जिला में वर्ष ..... में फसल खरीफ/रबी की कृषि करना चाहता हूं।  
मैं सिंचाई अधिनियम की धारा 64 की कंडिका 2.2 के निम्नलिखित सरल कमांक से प्राथमिकता का हकदार हूं।

## i kFkfedrk dk v{k/kkj

2.2 (अ) (क) मेरी जमीन तालाब में ढूब में आ गई है यदि हां तो :—

अ. नाम ग्राम.....

ब. सर्वे नंबर.....

स. रकवा.....

द. जमीन का मुआवजा ..... वाले कास्तकार से संबंध।

(ख) मेरी जमीन तालाब में ढूब में नहीं आई है, किंतु में ढूब से प्रभावित का हूं।

नाम ग्राम..... एवं मेरा वर्ग निम्न है :—

1. अनुसूचित आदिम जाति.....

2. हरिजन जाति .....

3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी .....

4. भूत पूर्व सैनिक .....

5. अन्य .....

(3) मांगी गई भूमि की प्राथमिकता :—

1. नाम ग्राम .....

2. सर्वे नंबर .....

3. रकवा.....

उपरोक्त के अलावा अन्य भूमि मान्य (है अथवा नहीं).....

3 (ब) बांध जलाशय सीमा से 5 कि.मी. सीमा के अंदर के ग्राम के हैं या नहीं यदि है तो नाम ग्राम ..... तहसील .....मेरे अन्य कृषि योग्य भूमि है या नहीं यदि है तो :—

अ. नाम ग्राम ..... तहसील .....

ब. सर्वे नंबर .....

स. रकवा.....

द. अन्य कृषि योग्य भूमि के सत्यापन हेतु राजस्व विभाग के नायब तहसीलदास द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा इजाजत मिलने पर ही इन सर्वे नम्बरान पर कृषि करने की पात्रता रख्यूंगा एवं विभाग द्वारा प्रस्तावित उद्घोषणा में वर्णित समस्त शर्तों को मंजूर करता हूं।

dk; kly; grq

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. श्रेणी .....      | 4. अन्य भूमि.....      |
| 2. अन्य की मांग..... | 5. कार्यालयीन टीप..... |
| 3. पात्रता .....     | .....                  |

पटवारी

उपयंत्री

अनुविभागीय अधिकारी

कार्यपालन अभियंता, सिंचाई विभाग, म.प्र.

e/; i n's k  
 'kkI u fl pkbz foHkkx  
 एवं  
 i ed[k vfhk; rk fl pkbz  
 द्वारा प्रसारित  
 rFkk vU; I cf/kr vkn's k

### I- मध्य प्रदेश शासन, रेवेन्यु (सा-1) विभाग

क्रमांक 168-एफ / 7.3.77 / सात / सा-1, दिनांक 15.1.1997

vf/kl ipuk

मध्यप्रदेश लेण्ड रेवेन्यु, कोड 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 19 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा तारीख 1 फरवरी 1977 से, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उसके कालम (3) में उल्लेखित तहसीलों में अपर तहसीलदारों के रूप में नियुक्त करती है।

I kj . kh

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी (2)	तहसील (3)
1	सिंचाई विभाग के ऐसे समस्त सहायक यंत्री जो सिंचाई उपखंड का भार साधन धारण करते हों	सिंचाई उपखंड की संबंधित अधिकारियों में आने वाली तहसीलें
2	सिंचाई विभाग के ऐसे समस्त कनिष्ठ यंत्री जो सिंचाई उपखंड का भार साधन धारण करते हों।	सिंचाई उपखंड की संबंधित अधिकारियों में आने वाली तहसीलें

(म.प्र. राजपत्र के दिनांक 1.4.77 के अंक में प्रकाशित)

II. Madhya Pradesh Revenue (N-I) Department

No. F-7-9-77/N-I/VII, Dated 18/5/77

**Notification**

In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby appoints with effect from 1st June 1977, the Canal Deputy Collectors mentioned in column (I) of the table below to be the Additional Tehsildars for the Tehsils mentioned in the Corresponding entries in column (2) thereof.

**Table**

<b>Officers (1)</b>	<b>Tehsils (2)</b>
1 All Canal Deputy Collectors of the Tehsils of the districts falling in the Irrigation Department holding charge of respective jurisdiction of Canal Deputy Collectors Abiyana work	

III.

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 1066 / 2269 / सात / शा-6 / 83 दिनांक 29.8.83

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि, सिंचाई राजस्व की बकाया की राशि की कमांड एरिया में स्थित कृषकों की ऋण पुस्तिका में प्रविष्ट की जावे एवं बकायादारों को किसी भी बैंक द्वारा तब तक ऋण न दिया जावे जब तक की सिंचाई विभाग द्वारा प्रदत्त “शून्य बकाया प्रमाण पत्र” प्रस्तुत न किया जावे।

IV.

मध्यप्रदेश शासन, सिंचाई विभाग

क्रमांक एफ / 29 / 78 / म.ल. / 39 / 78 / व्ही

दिनांक 31.3.83

vf/kI ipuk

मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम (संशोधन) 1968 की धारा 58 (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक भू-स्वामी से असुधार अंशदान दिनांक 1.1.83 से प्रभावशील कर वसूल किया जावे।

V. (म.प्र. शासन, वृहद, मध्यम एवं लघु, सिंचाई विभाग का आदेश क्रमांक 27 / 15 / 84 / मध्यम / 31 दिनांक 28.4.87)

सिंचाई विभाग के आदेश क्रमांक 29 / 78 / म.ल. / 39 / 78 / III दिनांक 31.3.83 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के खंड (घ) में प्रावधानित सिंचाई उपकर, आदिवासी क्षेत्र के केवल उन आदिवासियों एवं हरिजन कृषकों से वसूल नहीं किया जावेगा जिन्हें कि उक्त आदेश के खंड (ग) की कंडिका 6 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सिंचाई जलदर के भुगतान से प्रथम पांच वर्ष के लिये छूट प्रदान की गई थी। यह आदेश दिनांक 1.11.86 को छूट के प्रथम पांच वर्ष की बकाया अवधि के लिये प्रभावशील होंगे।

VI. (म.प्र. शासन, सिंचाई विभाग का प्रमुख अभियंता, सिंचाई के नाम ज्ञाप क्रमांक 22 / 29 / 82 / म.ल. / 31 दिनांक 10.12.82)

fo"k; :- जलकर की राशि की वसूली के अधिकार अमीनों को दिये जाने बाबत्।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जलकर की वसूली के अधिकार नियमित स्थापना पर कार्यरत अमीनों को दिये जायें।

यह अधिकार ऐसे क्षेत्र में दिये जायें जहां अभी सिंचाई पंचायतों का गठन नहीं किया गया हो, अथवा जहां गठित पंचायतें ठीक ढंग से कार्य न करती हों।

जिन स्थायी अथवा अस्थाय अमीनों को वसूली के अधिकार दिये जावे, उनसे किसी स्थायी कर्मचारी की प्रतिभूति भी ली जावें।

VII. (म.प्र. शासन सिंचाई विभाग का प्रमुख अभियंता सिंचाई के नाम पत्र क्रमांक 22/92/82 /म.ल./39 दिनांक 05.04.84)

fo<sup>"k</sup>; :- जल कर की वसूली के अधिकार अमीनों को दिये जाने बाबत्।

I ~~ग~~ :- इस विभाग का आदेश क्रमांक 22/92/82/म.ल./39 दिनांक 10.12.82

संदर्भित पत्र द्वारा जलकर की राशि को वसूली के अधिकार अमीनों को दिये गये थे, अब उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, जल कर को वसूली के अधिकार नियमित स्थापना पर कार्यरत अमीनों को दिये जायें।

यह अधिकार ऐसे क्षेत्र में दिये जावें जहां अभी सिंचाई पंचायतों का गठन नहीं किया गया हो, अथवा जहां गठित पंचायतें ठीक ढंग से कार्य न करती हों।

जिन स्थायी अथवा अस्थायी अमीनों को वसूली के अधिकार दिये जावें, उनसे किसी स्थायी कर्मचारी की प्रतिभूति भी ली जावे।

VIII. (म.प्र. शासन सिंचाई विभाग का प्रमुख अभियंता सिंचाई के नाम पत्र क्रमांक 29/78/म.ल./31/78 दिनांक 6.1.82)

fo<sup>"k</sup>; :- आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई का विकास करने के लिये कृषकों को विशेष सुविधायें दिया जाना —

I ~~ग~~ :- इस विभाग का पत्र क्र. एफ/27/2/77/म.ल./31, दि. 26.3.77

राज्य शासन द्वारा आदिवासी कृषकों को सिंचाई जल दर में छूट देने बाबत् आदेश जारी किये थे। उपरोक्त आदेश में पुनः निम्नानुसार सुविधायें देने का निर्णय लिया गया है।

1. आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी एवं हरिजन कृषक जिनके पास सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक धारित भूमि है तथा अन्य वर्ग के कृषक जिनके पास पांच एकड़ तक धारित भूमि है, उन्हें नये सिंचाई साधनों से पांच वर्ष तक एग्रीमेंट करने तथा जलदर देने के प्रावधान से छूट दी जावेगी।

2. छठे वर्ष से नियमानुसार अनुबंध कराया जाये। तथा छठवें वर्ष में 1/3 जलदर, सातवें एवं आठवें वर्ष 2/3 जलदर एवं नवें वर्ष के उपरांत पूरी जलदर वसूली की जावगी।

3. यह छूट उन्हीं सिंचाई साधनों के लिये लागू होगी जो नये बनेंगे तथा जो पिछले नौ साल के अंतर्गत बने हुये हैं।

4. जहां ऊपर वर्णित कृषक नई सिंचाई योजना से पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई प्राप्त किये हैं, उनके लिये उतने वर्ष कंडिका 1, 2 की गणना करने में काट दिये जायेंगे।

IX. (म.प्र. शासन सिंचाई विभाग का आदेश क्रमांक 18/3/पी/बी./31/71 दिनांक 11.9.79 समस्त जिलाध्यक्ष, (म.प्र.) एवं समस्त कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग (म.प्र.) के नाम) विषय :— मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के कमांड क्षेत्रों में जल के पूर्ण उपयोग करने के लिये जिला स्तरीय जल समितियों का गठन।

सिंचाई विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य शासन उपलब्ध जल का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के कमांड क्षेत्रों में जल प्रदाय एवं सिंचाई राजस्व वसूली के लिये समय—समय पर क्रियात्मक कार्यक्रम बनाने एवं पुर्नरावलोकन करने हेतु जिला स्तरीय जल उपयोग समितियों का सहर्ष गठन करता है। समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

1. जिला के जिलाध्यक्ष	—	अध्यक्ष
2. जिले के समस्त विधायक	—	सदस्य
3. जिले के उपसंचालक कृषि विभाग	—	सदस्य
4. सिंचाई विभाग के समस्त कार्यपालन यंत्री	—	सदस्य (जिनमें से एक को अध्यक्ष द्वारा समिति का सचिव नामांकित किया जावेगा।
जिनके पास उस जिले के किसी क्षेत्र का कार्यभार है।		

2. समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बुलाई जावेगी, किंतु जून एवं अक्टूबर दोनों माह के मध्य में कमशः खरीफ एवं रबी फसल का कार्यक्रम तय करने के लिये निश्चित रूप से आयोजित की जावेगी। समिति संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

3. समिति सिंचाई, कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों में प्रभावीय समन्वय सुनिश्चित करेगी ताकि कमांड क्षेत्रों के भिन्न भागों में अन्य सामग्री जैसे बीज एवं कीटनाशक दवाईया आदि, सिंचाई विभाग द्वारा नहर—सड़कों पर परिवहन आदि सभी सहूलियतें जहां संभव हो, देकर समय पर उपलब्ध कराई जा सकें।

4. समिति अपना तिमाही प्रतिवेदन सभी संबंधितों की ओर विशेष रूप से संबंधित कठार के मुख्य अभियंताओं को अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा भेजेगी। जिसमें कार्यक्रम की समीक्षा तथा बाधाएं आदि कोई हो, जिनकी ओर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित किया जाना है, का उल्लेख रहेगा। इस संबंध में मुख्य अभियंता, अपना प्रस्ताव आवश्यकतानुसार शासन की ओर भेजेंगे।

## i f j f' k" B

जिला स्तरीय जल उपयोग समिति निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करेगी :—

1. जलाशयों, व्यवर्तताओं में उपलब्ध जल की मात्रा का आंकलन जल की मात्रा जो अगली फसल के लिये बचाये रखना आवश्यक हो।
2. जिन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती हो उनका निर्धारण।
3. नहरों का क्रियात्मक कार्यक्रम, उनका खोलना एवं बंद करना। पानी देने की अवधि आदि।
4. समुचित फसलों का चुनाव और पानी का श्रेष्ठतम उपयोग।
5. सिंचाई प्रणाली की कमियों को दूर कर पानी के नुकसान में कमी करना। जिनमें लाईनिंग नये स्ट्रैक्चरर्स आदि को ध्यान में रखा जावे। संधारण एवं मरम्मत की दशा।
6. भूगर्भीय एवं सतही जल का समन्वित (Conjunctive) उपयोग।
7. जल दर की उगाही का पुनर्रावलोकन करना।

X. (मध्य प्रदेश शासन, आयाकट विभाग का आदेश क्र. 214/80/आयाकट/40/82, दिनांक 2.6.82 समस्त विभाग, मध्य प्रदेश, संबंधित विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष आयाकट, विकास प्राधिकरण एवं समस्त मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के नाम।)

fo" k; % & v k; k d V {ks=k a e s Q h Y M p u y d s f u e k l k d s | c k e s

राज्य शासन ने आयाकटों में फील्ड चैनल एवं जल निकास, नालियों के निर्माण के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये हैं :—

1. कि सिंचाई परियोजनाओं द्वारा निर्मित जल क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिये सभी आयाकट क्षत्रों में सिंचाई नालियां एवं जल निकास नालियां शीघ्र बनाई जाय।
2. कि 40 हे. के चक तक समस्त नहरों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।
3. कि 40 हे. में 5 से 8 हे. तक के चक तक समस्त सिंचाई एवं जल निकास नालियां, शासकीय व्यय पर बनाई जायेंगी और शासन की संपत्ति होगी।
4. कि 5 से 8 हे. के चक के भीतर अंतिम खेत तक सिंचाई नालियां तथा जल निकास नालियां शासकीय व्यय पर बनाई जायेंगी किंतु यह नालियां काश्तकारों की संपत्ति मानी जायेंगी और इनका रख रखाव भी संबंधित काश्तकारों द्वारा ही किया जायेगा। यह काश्तकारों की संपत्ति होने के कारण इनके लिये भूमि अर्जन नहीं किया जायेगा।

5. कि 40 हे. के चक से अंतिम खेत तक सिंचाई/जल निकास नालियों पर आने वाला समस्त व्यय आयाकट विभाग के बजट से किया जायेगा। यह व्यवस्था समस्त सिंचाई परियोजनाओं में लागू होगी, चाहे वह पूर्ण हो चुकी हो अथवा निर्माणाधीन हो।

6. सिंचाई नालियों एवं जल निकास नालियों के निर्माण पर व्यय हुई शासकीय राशि की वसूली के लिये सामान्य सिंचाई दर पर 10 रूपये प्रति हे. के मान से अधिभार लिया जायेगा। यह अधिभार भी सिंचाई दर के साथ ही वसूल किया जायेगा। यह अधिभार कार्य पूर्ण होने के अगले कृषि मौसम से कृषकों द्वारा देय होगा।

2. राज्य शासन चाहता है कि भविष्य में समस्त आयाकट क्षत्रों में फील्ड चैनल आदि के निर्माण के बारे में उपरोक्त निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाये।

#### XI- fo"k; %& jkTkLo Hkkxrku es 'kkfLr ij NW ckcrA

1. म.प्र. सिंचाई नियम, 1974 के नियम 193, के स्थान पर शासन सिंचाई विभाग की अधिसूचना क्रमांक 29/78/म.ल/39/78/II दिनांक 31.3.83 एवं क्रमांक एफ/29/1/83/मध्यम/31 दिनांक 10.7.85 द्वारा नया नियम प्रतिस्थापित किया। मूल नियम (संशोधन के पूर्व) निम्नानुसार था :—

“193. यदि जल कर (नहर राजस्व) या उसके किसी भाग का भुगतान विहित की गई तारीख के एक माह के अंदर न किया गया हो तो केनाल डिप्टी कलेक्टर ऐसे व्यक्ति कमियों पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

1	जब कि विहित की गई तारीख के एक माह के अंतर्गत भुगतान करता है	1	भुगतान न की गयी ऐसी रकम का 5 प्रतिशत
2	जब कि विहित की गयी तारीख के एक माह से दो माह के अंतर्गत भुगतान करता है।	2	भुगतान न की गयी ऐसी रकम का 10 प्रतिशत
3	जब कि विहित की गयी तारीख के दो माह से तीन माह के अंतर्गत भुगतान करता है	3	भुगतान न की गयी ऐसी रकम का 15 प्रतिशत
4	जब कि विहित की गयी तारीख के तीन माह से छः माह के अंतर्गत भुगतान करता है।	4	भुगतान न की गयी ऐसी रकम का 20 प्रतिशत
5	जब कि विहित की गयी तारीख के छः	5	भुगतान न की गयी ऐसी रकम का 25

	माह से 11 माह के अंतर्गत भुगतान करता है।		प्रतिशत
6	जब कि विहित की गयी तारीख के 12 माह बाद भुगतान करता है।	6	भुगतान न की गयी ऐसी रकम का 30 प्रतिशत

परंतु किसी भी ऐसी रकम का भुगतान न करने के लिये जो कि उस कालावधि के बारे में जिसमें भुगतान निलंबित रहा हो, सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित कर दी गई हो कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जावेगी”

2. म.प्र. शासन सिंचाई विभाग के आदेश क. एफ/29/54/78/म.ल./33 दि. 7. 6.1978 द्वारा 30 जून 1977 तक की अवधि के लिये परिगणित सिंचाई कर का बकाया कृषकों द्वारा 31 जुलाई 1978 तक भुगतान कर देने पर उनसे शास्ति वसूल न करने बाबत् निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया :—

“मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 के नियम क्रमांक 193 के प्रावधानुसार विहित की गयी तारीख से एक माह के अंतर्गत सिंचाई कर का भुगतान न किये गये व्यक्तिक्रमियों पर एक माह तक 5 से लेकर 12 माह के बाद तक 30 प्रतिशत शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित धनराशि की वसूली के संबंध में शासन ने यह निर्णय लिया है कि, सिंचाई राजस्व के उन बकायादारों पर जो दिनांक 30 जून 1977 तक की अवधि के लिये परिगणित सिंचाई जल कर एवं उपकर का बकाया दिनांक 31 जुलाई 1978 तक भुगतान कर देते हैं उन पर शास्ति (पेनाल्टी) न लगाई जाये।”

3. मध्य प्रदेश शासन, सिंचाई विभाग के आदेश क. एफ/29/54/78/म.ल./31 दि. 22.2.79 द्वारा उक्त सुविधा दिनांक 31.12.78 तक बढ़ाने हेतु निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया :—

“राज्य शासन द्वारा इस विभाग के पत्र क. एफ/29/54/78/म.ल./31 दिनांक 7.6.78 के तारतम्य में निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग के सिंचाई राजस्व वसूली के संबंध में जो दिनांक 31.7.78 तक की अवधि के लिये शास्ति (पेनाल्टी) की छूट दी गई थी, उस अवधि को अब दिनांक 31 दिसंबर 1978 तक बढ़ाया जावे।”

4. मध्य प्रदेश शासन, सिंचाई विभाग के पत्र क. एफ/29/54/78/म.ल./31 दिनांक 22.2.79 द्वारा उक्त छूट की अवधि का विस्तार दिनांक 30 जून 1979 तक करने हेतु निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया :—

“राज्य शासन द्वारा इस विभाग के पत्र क्र. एफ/29/54/78/म.ल./31 दि. 29.8.78 के तारतम्य में निर्णय लिया गया कि विभाग के सिंचाई राजस्व वसूली के संबंध में दिनांक 31.12.78 तक की अवधि के लिये जो शास्ति (पेनाल्टी) दी गई थी, उस अवधि को अब दिनांक 30 जून 1979 तक बढ़ाया जाये। साथ में छूट के संबंध में 77-78 वर्ष के दोषी कृषकों को भी पेनाल्टी से छूट दी जाये”

5. तदोपरांत म.प्र. शासन मध्यम एवं लघु सिंचाई विभाग के क्रमांक एफ/29/53/82/म.ल./39 दि. 5.11.82 द्वारा 30 जून 1982 तक की अवधि के लिये परिगणित सिंचाई कर का बकाया कृषकों द्वारा 31 दिसंबर 1982 तक भुगतान कर देने पर कृषकों से शास्ति वसूल न करने बाबत् निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया :—

“मध्य प्रदेश सिंचाई नियम 1974 के नियम क्र. 193 के प्रावधानानुसार विहित की गई तारीख के एक माह के अंतर्गत सिंचाई कर का भुगतान न किये गये व्यक्तिकमियों पर एक माह तक पांच प्रतिशत से लेकर 12 माह के बाद तक 30 प्रतिशत तक शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित धनराशि की वसूली के संबंध में शासन ने यह निर्णय लिया है कि अगर संबंधित कृषक सिंचाई जल दर की पूर्ण बकाया देय राशि 31 दिसंबर, 1982 तक एवं चालू वर्ष की देय राशि निम्नानुसार अदा कर दें तो उनसे शास्ति की राशि वसूल नहीं की जावेगी। उसी प्रकार पिछली बकाया राशि का 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा का इसी तारीख तक एवं पूर्ण चालू किश्त नियमानुसार समय पर जमा करने पर उसी अनुपात में शास्ति माफ की जावेगी”

6. सिंचाई विभाग के आदेश क्रमांक एफ/29/53/82/म.ल./39 दिनांक 8.12.82 द्वारा उक्त छूट को 31 जनवरी 1983 तक बढ़ाये जाने बाबत् निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये :—

“राज्य शासन द्वारा इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ/29/53/82/म.ल./39 दिनांक 5.11.82 के तारतम्य में निर्णय लिया गया है कि सिंचाई विभाग के सिंचाई राजस्व वसूली के संबंध में जो दिनांक 31 दिसंबर 1982 तक की अवधि के लिये शास्ति (पेनाल्टी) की छूट दी गई थी, अवधि को अब दिनांक 31 जनवरी 1983 तक बढ़ाये जाये।

7. उक्त सुविधा का विस्तार दिनांक 30 जून 1983 तक करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, मध्यम और लघु सिंचाई विभाग के पत्र क्र. 29/53/82/म.ल./39 दि. 25 जनवरी 1983 द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये गये :—

“राज्य शासन द्वारा इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ/29/53/82/म.ल./39 दिनांक 8.12.82 के तारतम्य में निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग के सिंचाई राजस्व वसूली के संबंध

में जो दिनांक 31 जनवरी 1983 तक की अवधि तक के लिये शास्ति (पेनाल्टी) की छूट दी गई थी, उस अवधि को दिनांक 30 जून 1983 तक बढ़ाया जाये।"

8. मध्यप्रदेश शासन, मध्यम, लघु सिंचाई विभाग के ज्ञाप क्र. 29/20/83/म.ल./39 दिनांक 27 अप्रैल 1983 द्वारा बकाया जल दर की राशि 1000 रूपये से अधिक होने पर तीन छ: माही किस्तों में वसूली करने हेतु निम्न आदेश प्रसारित किया गया :—

"उपरोक्त विषय पर आपके संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये। पत्र के कंडिका 4 में कहा है कि 1000/- (एक हजार) रूपये से अधिक के बकायादारों को तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जावे एवं कृषकों के प्रस्ताव अनुसार बकाया राजस्व जमा करने पर शास्ति में छूट दी जावे। शासन ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1 जून 1982 बकायादारों से बकाया जल दर की राशि यदि 1000/- से अधिक है, उसे तीन किस्तों में वसूल करने की छूट दी जाती है। यह किस्त प्रत्येक 3 माह में देना होगा। आदेश जारी होने के 18 माह में पूरी बकाया जमा करने वाले कृषकों से शास्ति वसूल न की जावे। 18 माह के पश्चात् कृषकों को विभागीय आदेश क्र. 29/78/म.ल./39/78/II दिनांक 31.3.83 द्वारा निर्धारित शास्ति के साथ बकाया भुगतान करना होगा।

चालू मांग पर यह छूट लागू नहीं होगी। "

9. मध्यप्रदेश शासन, मध्यम एवं लघु सिंचाई विभाग के आदेश क्र. 29/53/म.ल./39 दि. 3.5.83 द्वारा राजस्व भुगतान में शास्ति पर विभिन्न छूट हेतु निम्न आदेश प्रसारित किया गया :—

"1. शासन द्वारा प्रसारित आदेश क्र. 29/53/82/म.ल./89 दि. 25 जनवरी 1983 के तारतम्य में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर संबंधित कृषक सिंचाई जल दर की पूर्ण बकाया देय राशि 30 जून 1983 तक एवं चालू वर्ष के देय राशि नियमानुसार जमा कर दे तो उनसे सिंचाई नियम 1974 के नियम क्र. 193 के प्रावधानुसार शास्ति की राशि वसूल नहीं की जायेगी। इसी प्रकार पिछली बकाया राशि का 50 प्रतिशत या इससे अधिक इसी अवधि तक एवं पूर्ण चालू किस्त नियमानुसार जमा करने पर उसी अनुपात में शास्ति राशि माफ की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन कृषकों ने बकाया राशि के साथ शास्ति की राशि का भुगतान 25 सितंबर 1982 के बाद कर दिया है, उनके द्वारा जमा की गई शास्ति की राशि भविष्य में जल दर के देय राशि में समायोजित की जाये।

2. विभागीय आदेश क्र. 8/15/33/सा/70/2132 दि. 1.9.72 द्वारा जारी की गई जल दर सूची के भाग "ग" में स.क्र. 4 पर निम्नानुसार प्रावधान है :—

निश्चित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों के – सामान्य प्रवाह सिंचाई दर पर 10 प्रतिशत लिये अतिरिक्त दर अधिक मध्य भारत क्षेत्र को छोड़कर जहां की वह जल दर की दुगनी होगी।

इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि संबंधित कृषक सिंचाई जल दर की पूर्ण बकाया देय राशि 30 जून 1983 तक एवं चालू वर्ष की देय राशि नियमानुसार जमा कर दें तो (प्रदेश के) सभी क्षेत्र के ऐसे कृषक जिन्हें निश्चित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर पानी दिया गया है। सामान्य प्रवाह से 10 प्रतिशत अधिक जल दर वसूल किया जावे एवं इससे ज्यादा वसूली करने हेतु जो मांग पत्र दिये गये हैं, उतनी राशि की वसूली नहीं की जाये।

50 प्रतिशत या उससे अधिक बकाया राशि का भुगतान 30 जून 1983 तक करने पर उपरोक्त छूट उसी अनुपात में दी जाये।"

10. सचिव, मध्यप्रदेश वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई विभाग के अर्द्ध शा. पत्र क. 2252/एस.टी.आई./एस.आई./84 द्वारा शास्ति में छूट हेतु निर्देश प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग को दिये गये, जो निम्नानुसार है :—

"1. शासन द्वारा पूर्व प्रसारित आदेश क. 29/53/82/म.ल./89 दि 3 मई 1983 के तारतम्य में अब निर्णय लिया गया है कि यदि संबंधित कृषक सिंचाई जल दर की देय बकाया राशि का 25 प्रतिशत या इससे अधिक एवं चालू वर्ष की पूर्ण देयक राशि नियमानुसार दिनांक 31 मार्च 84 या इसके पूर्व जमा कर दें, तो उनसे सिंचाई नियम 1974 के नियम क. 193 के अनुसार शास्ति की राशि उसी अनुपात में माफ की जाये।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन कृषकों ने बकाया राशि के साथ शास्ति की राशि का भुगतान 25 सितंबर 1982 के बाद कर दिया है, उनके द्वारा जमा की गई शास्ति की राशि भविष्य में जल दर की देय राशि में समायोजना की जाये।"

11. इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई विभाग के आदेश क्रमांक 29/120/84/वृ.म./31 दि. 19/29 अक्टूबर 1984 द्वारा राजस्व के भुगतान में शास्ति पर विभिन्न छूट हेतु निम्न आदेश प्रसारित किया गया :—

"1. शासन द्वारा पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 2252/एस.टी.आई./एस.आई./84, दि. 24 फरवरी 1984 के तारतम्य में अब निर्णय लिया गया है कि यदि संबंधित कृषक सिंचाई जलदर के देय बकाया राशि पर 25 प्रतिशत या इससे अधिक एवं चालू वर्ष की पूर्व देय राशि

नियमानुसार दिनांक 30 जून 1985 या इसके पूर्व जमा कर दें, तो उनसे सिंचाई नियम 1974 के नियम क्रमांक 193 के प्रावधान के अनुसार शास्ति की राशि, उसी अनुपात में माफ की जावे।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन कृषकों ने बकाया राशि के साथ शास्ति की राशि का भुगतान 31 मार्च 1984 के बाद कर दिया है, उनके द्वारा जमा की गई शास्ति की राशि भविष्य में जलकर की देया राशि में समायोजन की जाये। ”

XII- fo<sup>2</sup>k; %& fl pkbz i pk; rk<sup>2</sup> ds xBu@pukko ds | c<sup>2</sup>k ei vup<sup>2</sup>k

(प्र.अ. सिंचाई के ज्ञाप क्र. 335389 / 82 दिनांक 16.10.82 द्वारा प्रसारित)

(1) प्रत्येक 1000 एकड़ सिंचाई क्षेत्र के लिये एक सिंचाई पंचायत गठित की जावेगी। जब कभी किसी गांव, चक अथवा मुहाल में सिंचाई की संभावना हो तथा सिंचाई पंचायत की पदावधि समाप्त हो, अथवा विद्यमान पंचायत की पदावधि समाप्त होने वाली हो, अथवा पंचायत का विघटन कर दिया गया हो, तो कार्यपालन यंत्री, प्रकरण दायर कर कलेक्टर को प्रपत्र क्रमांक-1 में सिंचाई पंचायत के हेतु सदस्यों की संख्या नियत करने का प्रस्ताव करेगा। उक्त प्रस्ताव, ग्राम में सदस्यों की संख्या के आधार पर नियत किया जावेगा, जो कम से कम 3 एवं अधिक से अधिक 5 होगी। दूसरे यह कि प्रत्येक 100 सदस्यों पर एक सदस्य निश्चित किया जाना उचित होगा।

(2) सिंचाई पंचायत गठन हेतु मतदाता सूची प्रपत्र क्रमांक-2 में नियम क्रमांक 147 के अधीन मतदाता होने के हकदार व्यक्तियों की तैयार की जावेगी जो नियम क्र. 145 के अधीन अयोग्य न हों। उक्त सूची में एक पंक्ति में एक नाम अंकित होगा तथा शामिल खाता होने की दशा में पृथक पंक्ति में नाम दर्शित किये जावेंगे। एक ही व्यक्ति के शामिल खाते एवं पृथक दाता होने पर केवल एक बार ही नाम अंकित होगा। इसी प्रकार सरपरस्त को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः सरपरस्ती के खाते की सूची में अंकित न होगा। यदि ऐसा पाया जाय कि कागजात में अंकित नाबालिग, बालिग हो चुका है, तो बाद तस्दीक, पंचनामा आदि तैयार कर सिंचाई निरीक्षक की अनुमति पश्चात् ऐसा नाम अंकित किया जाय।

(3) उक्त सूची, चुनाव के कम से कम एक माह पूर्व तैयार कर, सिंचाई निरीक्षक के हस्ताक्षरित उद्धरण (प्रपत्र क्रमांक - 3) के समर्कत संबंधित ग्रामों में प्रकाशित की जावे। जिस पर तामील का पूरा विवरण दिनांक सहित अंकित हो।

(4) उक्त घोषणा के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का पंजीयन, प्रपत्र क्र. 10 में दिया जाकर यथा समय (8 दिन के भीतर) सिंचाई निरीक्षक, निराकरण से संबंधित को सूचित करें। दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त करें। इस प्रकार सूची को अंतिम रूप देकर उसकी तीन प्रति तैयार कराई जावे।

(5) कार्यपालन यंत्री प्रपत्र क. 4 पर सिंचाई पंचायत के निर्वाचन हेतु ..... समय  
स्थान ..... नियत करते हुए, वास्तविक चुनाव से कम से  
कम 15 दिन पूर्व संबंधित ग्राम में उद्घोषणा करेगा। तत्पश्चात् नियम क्रमांक 151 के अधीन  
प्रपत्र क. 5 में निर्वाचन की अध्यक्षता करने हेतु सिंचाई निरीक्षक अथवा नहर अधीनस्थ को  
नियुक्त तथा प्रतिनियुक्ति करेगा। साथ ही सहायता स्वरूप एक व्यक्ति जोड़ दिया जावेगा।

(6) कार्यपालन यंत्री, चुनाव के सुचारू संचालन एवं व्यवस्था हेतु प्रधान अध्यापक, जिला  
अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक एवं पटेल एवं पटवारी आदि को प्रपत्र क. 6 व 7 में उचित व्यवस्था हेतु  
निर्देश / निवेदन करेंगे।

(7) चुनाव पार्टी की निम्न सामग्री प्रदान की जावेगी :—

1. मतदाता सूची – 2 प्रति।
2. मतपत्र आवश्यकतानुसार।
3. लिफाफा 2 मतदाता सूची रखने हेतु साईज 4" x 9"
4. लिफाफा 2 मतपत्र रखने हेतु साईज 9" x 12"
5. बस्ता खादी
6. लिफाफा डायरी तथा प्रमाण पत्र रखने हेतु 4" x 9"
7. लिफाफा समस्त सूखी सामग्री – 12" x 12"
8. स्याही – 5 गोली, दवात – 1, होल्डर – 2, प्रत्येक पार्टी को
9. पीठासीन अधिकारी की डायरी का फार्म प्रारूप क्रमांक 9
10. सील – 1, चपड़ी – 2, छड़ी, गोंद – 1 शीशी, माचिस, सफेद कागज स्टांप  
पेड़, कार्बन – 2, कार्बन पेंसिल, आलपिन 4, डोरा 10 ग्राम, सूजा 1, अमिट  
स्याही।

(8) चुनाव पार्टियों को मतदान केन्द्र पर, एक दिन पूर्व पहुंचकर उस ग्रम में निवास  
करायेंगे, जिससे मतदान यथा समय हो सके। मतदान अध्यक्ष अपनी डायरी के सभी खातों की  
पूर्ती करेंगे, जिसमें ग्राम में पहुंचने से वापिस आने तक का समस्त विवरण देंगे।

(9) नियक्षक मतदाता को साक्षर व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन  
अधिकारी ऐसे मतदाता की ओर से उसके द्वारा बतायें गये नाम मतपत्र पर अंकित कर सकेंगे।

(10) नियत समय के भीतर मतदान केन्द्र पर उपस्थित व्यक्ति, यदि मतदान न कर  
सके हों तो पीठासीन अधिकारी ऐसे उपस्थित व्यक्तियों को अपने हस्ताक्षरित पर्चे बाटेंगे तथा  
मतदान तब तक चालू रहेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति मतदान न कर लें।

(11) सहायता करने वाला कर्मचारी, मतदाता के सीधे हाथ की तरजनी उंगली पर अमिट स्याही लगा देगा तथा मतदाता सूची में नाम के आगे निशान लगायेगा।

(12) पीठासीन अधिकारी, स्थल पर प्रपत्र क. 16 में मतपत्र का लेखा तैयार करेंगे।

(13) पीठासीन अधिकारी नियम क्रमांक 152 की वांछानुसार स्थल पर ही मतदान करने वाले तथा अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं के अनुक्रमांक एवं विशेष घटना का विवरण तैयार करेंगे। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच की उपस्थिति में समस्त कागजातों को एक लिफाफे में मुद्रा बंद करेंगे तथा मतदान के तुरंत बाद मुद्राबंद लिफाफे नहर डिप्टी कलेक्टर को सौंप दिये जावेंगे।

(14) नहर डिप्टी कलेक्टर, पीठासीन अधिकारी की सहायता से नियम क्रमांक 153 की वांछानुसार, पीठासीन अधिकारी की सहायता से, ग्राम पंचायत के सरपंच की उपस्थिति में, अभ्यार्थियों की एक सूची प्रपत्र क. 11 में तैयार करगा तथा परिणाम घोषित करने के लिये कलेक्टर को प्रपत्र क. 11 (क) में प्रस्तुत करेगा।

(15) जिलाध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त होने पर प्रपत्र क. 12 में संबंधित ग्राम में उद्घोषणा की जावेगी। जिसमें सरपंच चुने जाने का उल्लेख होगा।

(16) उक्त चुनाव के ठहराव प्राप्त होने पर, अमीन प्रपत्र क. 13 से संबंधित ग्राम में सूचना करते हुए तामील प्रति रिकार्ड हेतु कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करेगा।

(17) इस प्रकार चुने हुए पंचों और सरपंचों को पंजी प्रपत्र क. 18 में कार्यपालन यंत्री उपखंड पदाधिकारी, नहर डिप्टी कलेक्टर, सिंचाई निरीक्षक एवं अमीन द्वारा तैयार की जावेगी।

(18) पंचायत द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों हेतु प्रारूप क्रमांक 15, 16 एवं 17 शासन द्वारा प्रदाय किये जावेंगे।

i i = d e k d 1 ½

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग ..... (म.प्र.)

क्रमांक ..... / सिं.प.गं. दिनांक .....

प्रति,

जिलाध्यक्ष महोदय,

..... (म.प्र.)

विषय :— सिंचाई पंचायत के गठन के संबंध में।

निवेदन है कि इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संलग्न सूची अनुसार ग्रामों में सिंचाई पंचायत का गठन होना है, जिसका प्रस्ताव भेजकर निवेदन है कि नियम क्रमांक 143 के अधिक अनुमोदन देने का कष्ट करेंगे। जिससे आगामी कार्यवाही संभव हो सके।

सहपत्र :— 1. ग्राम सूची कार्यपालन यंत्री  
 2. मतदाता सूचियां सिंचाई विभाग  
 i i = dekd 1 ½[½

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग ..... (म.प्र.)  
 ज्ञाप क्रमांक ..... /सिं.पं.गं. दिनांक .....

प्रति,  
 जिलाध्यक्ष महोदय,  
 ..... (म.प्र.)

विषय :— सिंचाई पंचायत के गठन के संबंध में।  
 मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम की धारा 93 के साथ पठित धारा 62 के अधीन सिंचाई नियम 1974 के नियम 143 के अनुसार जिन ग्रामों में सिंचाई पंचायत का पुनः गठन त्रिवर्ष अवधि (19..... से 19.....) के लिये किया जाना है, संलग्न सूची अनुसार प्रस्ताव भेजकर निवेदन है कि अनुमोदन करने की कृपा करें।

प्रत्येक सौ मतदाताओं के एक पंच प्रतिनिधि चुनने की अनुशंसा की जाती है।

सहपत्र :— 1. ग्राम सूची कार्यपालन यंत्री  
 2. मतदाता सूचियां सिंचाई विभाग

i i = dekd 1 ½x½

xke | ph

कार्य का नाम.....

तहसील जिला	ग्राम का नाम	जनसंख्या	सिंचाई खातों की संख्या	कुल मतदाता	प्रस्तावित पंचों की संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

i i = dekd 2

ernkrk | ph

कार्य का नाम जिला.....

अनुक्रमांक	नाम कृषक आत्मज	भूमि का सर्वे करना	जमा बंदी खाता क्रमांक	तहसील सिंचाई राजस्व बकाया	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6



i i = dek<sup>d</sup> 3

dk; kly; ] dk; lkkyu ; h]

I puk i =

कृषकगण (सिंचाई) ग्राम..... तहसील.....जिला.....

म.प्र.।

सर्वसंबंधित सेंच्य क्षेत्र के कृषक गणों को अवगत किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 (क्रमांक 3 सन 1931) की धारा 62 की उपधारा (2) के अंतर्गत सिंचाई पंचायत का निर्माण किया जाना है।

उक्त धारा के नियम 147 के अंतर्गत मतदाता होने के हकदार व्यक्तियों की सूची तैयार की जाकर संबंधित की जानकारी के लिये संलग्न है।

यदि सूची में किसी का नाम अंकित होने से रह गया हो या अंकित नाम आदि के बारे में कोई आपत्ति हो तो वह प्रसारण दिनांक से आठ दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।

अवधि समाप्त होने के पश्चात् काई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संलग्न : मतदाता सूची

सिंचाई निरीक्षक,

सिंचाई उपखंड.....

एक प्रति सूचना पत्र मय सूची मेरे द्वारा ग्राम पंचायत/चौपाल/सार्वजनिक स्थान का (नाम) पर आज दिनांक ..... को निम्न साहबान के संमुख सर्व साधारण के सूचनार्थ चर्चा किया गया।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

अमीन हल्का.....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त घोषणा, नाम सूची, हमारे सामने..... स्थान..  
..... पर चर्चा की गई।

1. नाम.....पुत्र..... 3. नाम.....पुत्र.....

2. नाम.....पुत्र.....

तामील रिपोर्ट प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर अमीन मय दिनांक  
कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग.....

i i = d e k d & 4

सिंचाई पंचायत का निर्वाचन

सूचना पत्र

बनाम :— मतदाता सिंचाई पंचायत ग्राम..... तहसील.....  
जिला..... म.प्र.।

कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग..... सिंचाई अधिनियम की धारा 62 व 93 के अंतर्गत निर्मित नियम 146 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा उद्घोषित करता हूँ कि :—

उपरोक्त ग्राम में दि..... को स्थान ..... पर प्रातः ..... बजे से शाम..... बजे तक सिंचाई पंचायत के गठन हेतु निर्वाचन होगा।

अतः सभी मतदाताओं को चाहिये कि नियत दिनांक को, नियत समय एवं स्थान पर, उपस्थित होकर मतदान में भाग लें। समय समाप्त होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकेगा।

कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग..... म.प्र.।

i i = dekhd 5

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग ..... म.प्र. ।  
 क्रमांक /सिंचाई पंचायत गठन दि.  
 नियुक्ति पत्र

मैं ..... कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग ..... श्री .....  
 .....की एतद् द्वारा निम्न ग्रामों में गठित होने वाली सिंचाई पंचायतों के निर्वाचन की  
 अध्यक्षता/सहायता करने हेतु नियुक्ति करता हूँ।  
 कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग.....

नाम ग्राम	दिनांक जिसको मतदान होगा	समय	स्थान जहां मतदान होगा	संख्या सदस्य नियम 143 के अंतर्गत नियत हो	विवरण
1	2	3	4	5	6
कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग ..... म.प्र. ।					

i i = dekhd 6

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग ..... म.प्र.  
 क्रमांक ..... /सिंचाई पंचायत गठन दि ..... 19  
 प्रति,  
 प्रधानाध्यापक,  
 पाठशाला ग्राम.....,  
 तहसील.....जिला .....

विषय :— सिंचाई पंचायत के चुनाव के संबंध में।  
 उपरोक्त प्रकरण में अवगत किया जाता है कि आपके ग्राम ..... में दिनांक ..... को समय..... बजे उक्त चुनाव होना है, जिसके लिये आपकी शाला का स्थान नियत किया गया है, अतः उक्त कार्य हेतु समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करें।  
 कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग.....

अनुलेख क्रमांक ..... /सिंचाई पंचायत गठन दि.....  
 प्रति,  
 जिला शिक्षा अधिकारी, मंडल..... की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।  
 कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग.....

## i i = dekd 7

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग.....म.प्र.  
 क्रमांक ..... /सिंचाई पंचायत गठन दि ..  
 प्रति,

(क) जिलाध्यक्ष..... |

(ख) पुलिस अधीक्षक..... |

विषय :— सिंचाई पंचायत के चुनाव के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है ग्राम..... में दिनांक..... को ..  
 ..... बजे ..... से ..... बजे के बीच, ग्राम के ..... स्थान पर,  
 सिंचाई पंचायत हेतु चुनाव होना है। सूचनार्थ अग्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस हेतु  
 आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

श्री..... उपयंत्री/सिंचाई निरीक्षक को पीठासीन अधिकारी  
 नियुक्त किया गया है।

(विशेष अनुरोध कोई हो तो लिखें)

कार्यपालन यंत्री

इसकी प्रति संबंधित पटवारी/थाना प्रभारी को भी पृष्ठांकित करना है।

## i i = dekd 8 ½

प्रमाण — पत्र

प्रमाणित करते हैं कि हमारे गांव..... तहसील..... में सिंचाई  
 पंचायत का चुनाव यथा समय नियत स्थान पर प्रारंभ होकर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ एवं चुनाव  
 निष्पक्ष रहा।

हस्ताक्षर उपस्थित पंचान

## i i = dekd 8 ¾[kl]

प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता जिन्होंने मतदान में भाग लिया मेरे द्वारा पहचाने  
 गये हैं एवं सही व्यक्ति जिनका मैं पूर्ण उत्तरदायी हूँ।

हस्ताक्षर प्रमाणित कर्ता

i i = d<sub>ekd</sub> 9

क्रमांक	डायरी पीठासीन अधिकारी
नाम पीठासीन अधिकारी.....	
नाम ग्राम.....	तहसील ..... जिला.....
ग्राम में पहुंचने का समय .....	
कार्यालय अनुसार मतदान का स्थान.....	
मतदान चालू होने का समय.....	
मतदान समाप्त होने का समय.....	
जब प्रथम व्यक्ति ने मतदान किया.....	
समय जब अंतिम व्यक्ति ने मतदान किया.....	
मतदाताओं की संख्या.....	
मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया.....	
मतदाताओं का क्रमांक जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया.....	
पटेल, पटवारी, चौकीदार, सरपंच आदि के नाम.....	
सहयोग विवरण.....	
विशेष घटना यदि घटी हो तो.....	
मतदान का प्रतिशत.....	

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

i i = d<sub>ekd</sub> & 10

मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का पंजीयन

क्रमांक	नाम ग्राम	नाम व्यक्ति जिनकी ओर से आपत्ति प्राप्त हुई	मतदाता सूची का स. क. जिसकी ओर से आपत्ति प्रस्तुत हुई	मतदाता सूची का क. जिसके बारे में आपत्ति प्रस्तुत हुई	ग्राम में उद्घोषित किये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5	6

आपत्ति प्रस्तुत करने का दिनांक	आपत्ति का स्वरूप	निर्णय का खुलासा	निर्णय दिनांक
7	8	9	10

i i = dekd 11

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग..... म.प्र.

क्रमांक ..... /सि.पं.ग. दि..... 19

प्रति,

जिला अध्यक्ष महोदय,

..... (म.प्र)

विषय :- निर्वाचित सदस्यों को मान्यता दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रकरण में नियम क्रमांक 153 की अधीन सूची तैयार की जाकर श्रीमान के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर निवेदन है कि एक प्रति बाद अनुमोदन भेजने की कृपा करें। जिसकी संबंधित ग्रामों में उदघोषणा कराई जा सके।

संलग्न 2

कार्यपालन यंत्री

सिंचाई संभाग.....

i i = dekd 11 ½

सदस्यों को दिये गये मतों का विवरण पत्रक

अनु. क.	नाम व्यक्ति जिसको सदस्य हेतु मत प्राप्त हुये, वल्दियत सकनियत आदि	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	उन व्यक्तियों के अनुक्रमांक जिन्होंने खाता क्रमांक 2 में अंकित व्यक्ति को मत दिये	विवरण
1	2	3	4	5

i i = dekd 11 ½

dyDVj dks vuqeknu gsrq Hksts tkus okyk i =d

अनु. क.	नाम व्यक्ति व वल्दियत, सकनियत जिसको मत मिले	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्राप्त मतों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5

## i i = dekd 12

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग..... (म.प्र.)

सूचना पत्र

सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 62 के अधीन निर्मित नियम क्रमांक 154 के अनुबंधों  
अनुसार सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि ग्राम ..... तहसील.....  
जिला..... सिंचाई पंचायत के लिये जिलाध्यक्ष..... ने निम्न व्यक्तियों को  
चुना हुआ पंच मान्य किया है।

- |        |        |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

उक्त पंचान को चाहिये कि वे दिनांक ..... को स्थान..... पर<sup>1</sup>  
एकत्रित होकर अपने में से एक सरपंच का नाम, सर्वसम्मति से तय कर, नाम लिखित में सूचित  
करें। सरपंच के हस्ताक्षर युक्त चयन की एक प्रति संबंधित अमीन की लिखित में देवें।

कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग..... (म.प्र.)

## i i = dekd 13

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग..... (म.प्र.)

सूचना पत्र

सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके ग्राम ..... तहसील..  
.....जिला..... की सिंचाई पंचायत के लिये श्री.....पुत्र.....  
.....श्री..... को सरपंच चुना गया है/मनोनीत किया गया है।

प्रति,

श्री.....पुत्र श्री..... पंच/सरपंच सिंचाई पंचायत ग्राम.....

अमीन हस्ताक्षर.....

i i = dekad 14

fl pkbz i pk; r ds l nL; fuokbou ds er i = grq i z i

नोट :- इसके लिये पुस्तक के पृष्ठ 271 पर दिया हुआ प्ररूप क्रमांक 14 उपयोग किया जायेगा।

**(Form 14)**  
**Irrigation Panchayat member election Form**

( I, cast my vote in favour of the following persons to whom I consider fit for becoming a member of Irrigation Panchayat of village.....)

1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....

(Signature of the writer)  
(in case of illiterate persons)  
the voter

Signature or thumb  
impression of

## **Certificate by the Presiding Officer**

(I certify that the voter has presented it after filling it himself or by another person (in case of illiterate persons) in my presence.)

Signature of the  
Presiding Officer

i i = dlekd 15

कार्यालय जिला अध्यक्ष.....(म.प्र.)

क्रमांक ..... / पं.ग. दिनांक.....

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,  
सिंचाई संभाग.....

विषय :— सिंचाई पंचायत ग्राम..... का गठन पुनर्गठन तहसील.....

संदर्भ :— आपका ज्ञाप क..... दिन.....

सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 93 के साथ पठित धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं सिंचाई नियम 1974 के नियम 144 को प्रयोग में लाते हुए।

- (क) सिंचाई पंचायत तीन वर्ष (19..... से 19..... तक) के लिये पद धारण करेगी।  
पंच की संख्या प्रत्येक ग्राम में 1 पंच प्रति 100 मतदाता होगी।
- (ख) वर्तमान सिंचाई पंचायत (19..... से 19..... तक) जिसका कार्यकाल दिनांक तक बढ़ाया जाता है।
- (ग) ..... सिंचाई पंचायत (19..... से 19..... तक) कार्य समाप्त होने से पूर्व दिनांक ..... को विघटित की जाती है। अतः पंचायत लेखा तथा अन्य रेकार्ड तैयार कर लें।

सहपत्र :—

हस्ताक्षर, जिलाध्यक्ष, जिला.....

i i = dlekd 16

मत पत्र का विवरण

कुल प्रदत्त मत पत्र क..... से क..... तक.....

क..... से क..... तक.....

योग

उपयोग में लाये गये क..... से क..... तक.....

मतपत्र क..... से क..... तक.....

योग

वापस किये गये मत पत्र क..... से क..... तक.....

क..... से क..... तक.....

योग

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

i i = dlekd 17

पंचायतों का शपथ पत्र

मैं/हम सरपंच/पंच, सिंचाई पंचायत ग्राम.....(कार्यालय का नाम.....)  
 आज दिनांक ..... पंचायत के चुनाव दिनांक ..... को चुने जाने के उपरांत शपथ लेता हूं/लेते हैं कि म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 62 तथा तत्संबंधी सिंचाई नियम 1974 के अनुसार सार्वजनिक सिंचाई योजनाओं की देखभाल, प्रशयन तथा वसूली कार्य निष्ठापूर्वक करूंगा/करेंगे तथा सिंचाई हेतु जल का सदृउपयोग करने में सहयोग करूंगा/करेंगे।

हस्ताक्षर (पंच) 1.....	2.....	हस्ताक्षर (सरपंच).....
3.....	4.....	

i i = dlekd 18

..... के सिंचाई ग्रामों के लिये नियुक्त किये गये सरपंचों तथा पंचों के नाम दर्शाने वाला रजिस्टर।

तालाब/डिस्ट्री. का नाम तथा क्रमांक	पट्चारी हलका सहित ग्राम का नाम	सरपंच का नाम	पंचों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5

XIII- fo"l; %& fl pkbz jktLo dk; leš vko'; d l ko/kkfū; kA

(मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार के पत्र क. 8/रा.को.(च.ब.) 77 दिनांक 18.8.79

से उद्धरित)

आवश्यक सावधानी की नियम बातें ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

1. सभी प्राप्त सामग्री पंजी में दर्ज करायें तथा उचित हिसाब रखें।
2. सभी अभिलेख का पृष्ठांकन एवं मुद्रांक कर प्रमाणिकरण दें। उचित यह होगा कि उन्हें मशीन से नंबरिंग कराया जाये।
3. खाली फार्म पर कभी मुद्रा न लगाई जाये।
4. प्राप्त आपत्तियां आवश्यक रूप से रजिस्टर में अंकित कराई जाये तथा प्राप्ति दिनांक अंकित किया जावे।

5. रोजना प्राप्त होने वाली आपत्ति के अंतिम नंबर पर हस्ताक्षर करें जिससे पिछली तारीख में वह आपत्ति प्राप्त न हो सके।

6. पर्चा आबपाशी पर वितरण दिनांक डाली जाना आवश्यक है। उस दिनांक से ही आपत्ति की अवधि मान्य की गई है।

7. आपत्ति पर दिये गये निर्णय से संबंधित को सूचित करायें तथा हस्ताक्षर करें।

8. आपत्तियों पर अमल कागजात में यथा समय करायें तथा हस्ताक्षर करें।

9. एक व्यक्ति को एक समय में एक कट्टा वसूली प्रदत्त करें तथा वापस प्राप्त होने पर दूसरा कट्टा प्रयोग को दें।

10. कट्टा वसूली हर माह की 16 तारीख को मंगाया जाकर दिनांक 15 तक काटी गई अंतिम रसीद पर हस्ताक्षर करें, जिससे पिछली तारीख में रसीद काट कर शासित के प्रावधान का दुरुपयोग न हो सके।

11. भ्रमण के समय कृषकों को बुलाकर काटी गई रसीदों का सत्यापन करें कि दोनों प्रति एक है कि नहीं। भिन्नता पाये जाने पर उचित कार्यवाही करें।

12. चालान पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कट्टे की पूरी जांच कर लें कि हाल ही की वसूल शुदा रकम पूरी जमा की जा रही है, जिससे अस्थायी गबन या दुरुपयोग की स्थिति से बचा जा सके।

13. चालान के साथ झूठे फर्द चालान न भूले अन्यथा हिसाब मिलाना कठिन हो जायेगा। चालान का विवरण संबंधित कट्टे पर भी अंकित कराया जावे। प्राप्त चालानों का सत्यापन यथा समय करा ले।

14. पलेवा का इंद्राज यथा समय करायें तथा अतिरिक्त पानी प्रदाय पर नजर रखें जिससे राजस्व की हानि न हों।

15. नहर में पानी चलने से बंद होने तक समय समय पर नलकूप विद्युत पंप आदि की मीटर रीडिंग नोट कर लें। इससे आपत्तियों के निराकरण में सुविधा रहेगी। यदि संभव हो तो संबंधित कृषक के हस्ताक्षर भी प्राप्त करें।

16. आपत्तियों के निराकरण में स्थल की जांच करें तथा साक्ष्य रूप सर्टिफिकेट, पटवारी, संबंधित सिंचाई पंचायत के सरपंच एवं पंचान तथा आस पास के कृषकों के बयान भी लें जिससे सही निर्णय हो।

17. मतालबा कायमी का कार्य यथाशीघ्र कराके पर्चे विहित दिनांक के पूर्व बांटे जावें। जिससे आपत्तियों का हास होगा।

18. चैकिंग के समय सर्वे नं. अपूर्व सिंचन की दिशा में, लंबाई, चौड़ाई इन सभी की चैकिंग कर हस्ताक्षर करें।

19. अनुबंध की अंतिम दिनांक साधारण दर एवं 10 फीसदी अतिरिक्त दर देने, दूसरे दिन प्रातः अनुबंध संख्या एवं अनुबंधित क्षेत्र की जानकारी एकत्र करना न भूले तथा अन्य पूर्ति यथा शीघ्र सभी अनुबंध हस्तगत करें।

20. खसरा शुद्धकार के अनुबंध का चैकिंग करे तथा शुद्धकार और जमाबंदी का मिलान आवश्यक रूप से करायें क्योंकि वसूली जमा बंदी से होती है अतः उसका प्रभाव राजस्व पर पड़ना स्वभाविक है।

21. सीड़ के नंबरान अनुबंध से छूट प्राप्त सिंचित क्षेत्र, फसल खराबा एवं अनुबंधित खुशक नंबरान एवं मिश्रित सिंचित नंबरान का चैकिंग आवश्यक रूप से करें। इसका सीधा प्रभाव राजस्व पर पड़ता है।

22. समस्त आवियाना कार्यवाही में सिंचाई नियम 1974 एवं ईरीगेशन एकट 1931 में प्रयुक्त शब्दावली एवं नियमों का ही प्रयोग करें, क्योंकि कोई भी गलत कार्य को चुनौती दी जा सकती है।

23. प्रत्येक नहर अधिकारी एवं नहर अधीनस्थ का कार्य क्षेत्र निश्चित कर देना चाहिए जिसके अनुसार उत्तरदायित्व सौंपा जा सके।

24. बकाया वसूल करने के लिये भू-राजस्व संहिता के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।

25. कोई शास्ति प्रतिरोपित करने के पूर्व प्रकरण की स्पष्टता की जांच करें।

XIV. विषय :— *U; ure vof/k ft| ds fy; s vkc; kuk fo"k; d ys[kk vf[kys[kks  
dks | jf{kr j [kk tk; xkA*

(म.प्र. निर्माण विभाग मैन्युल के परिशिष्ट 9.11 के आधार पर)

परिशिष्ट का क्र.	अनुसूचि क्र. Schedule	विषय	न्यूनतम समय		विवरण
			मूल का	प्रतियों का Foil	
1	2	3	4	5	6
XVII-D					
160	48	किस्तबंदी खतौनी	4	4	विवरण
161	63	राजस्व संग्रहण की ताऊजी	1	1	नीचे देखें
162	68	विविध पट्टों का रजिस्टर	3	—	(1)
163	74	पंचों को कमीशन भुगतान का विवरण	7	—	
164	81	शासकीय तालाबों में मछली पकड़ने के पट्टे	3	—	(2)
165	82 / 84	झूब क्षेत्र इत्यादी में काश्त के पट्टे	3	—	(3)
166	100	खसरा शुद्धकार (प्रारूप 19)	4	—	
167	102	शिकायत याचिकाओं पर आदेश	1	—	

परिशिष्ट का क्र. Schedule	अनुसूचि क्र. Schedule	विषय	न्यूनतम समय		विवरण
			मूल का	प्रतियों का Foil	
1	2	3	4	5	6
168	105	नहर अधीनस्थ / अमीन की साप्ताहिक डायरी	1	—	
169	107	सिंचाई निरीक्षक की दैनिक रिपोर्ट	1	—	
170	108	शिकायक रजिस्टर	4	—	
171	109	करार अंतर्गत भूमि का विवरण	3	—	(4)
172	110 / 111	सिंचाई करार (प्ररूप 6,7,8,9,10,11)	3	—	(5)
173	112–118	साप्ताहिक सिंचाई प्रतिवेदन	2	2	
174	127	सरपंच / पंचों के नाम दर्शाने वाला रजिस्टर (प्ररूप 18)	3	—	
175	128	किस्तबंदी खतौनी की संक्षिप्ति	3	—	
176	130	सिंचाई लेजर	2	—	
177	131	सिंचाई राजस्व की माफी हेतु आवेदन	3	—	
178	132	जल मार्ग हेतु आवेदन तथ संविदा (प्ररूप 29,30,31,32)	3	—	(6)
179	133	सिंचाई पर्चा (प्ररूप 20,21)	3	—	(7)
180	134	जमा बंदी (प्ररूप 22)	3	—	(8)
181	135	जलमार्ग निर्माण पर व्यय की लागत की गणना प्रपत्र	3	—	(9)
182	136	जलमार्ग लागत के बंटवारे का विवरण	3	—	(10)
183	137	व्यक्ति कमियों की सूची (प्ररूप 26)	3	—	(11)
184	138	राजस्व वसूलीयों का लेखा	3	—	(12)
185	139	कार्यपालन यंत्री द्वारा जलमार्ग के व्यय / वसूली का विवरण	3	—	(13)
186	145	ग्रामीणों द्वारा सिंचाई इत्यादी हेतु किये करारों का विवरण	3	—	(14)
187	146	मौजावार स्टैटमेंट	10	—	
188	147	सिंचाई करार में स्वीकृत माफी विवरण	3	—	
189	148	जल प्रदाय हेतु आवेदन (प्ररूप 4,5)	3	—	
190	150	काश्तकारों को जल कर की वापसी का विवरण खरीफ / रबी फसल हेतु	3	—	
191	151	सरपंच / पंचों को सिंचाई कार्य हेतु देये कमीशन का विवरण (प्ररूप 27)	7	—	
192	—	गांव के नक्शे	4	—	

विवरण :— 1,2 — पट्टे की समाप्ति के पश्चात्

(Remarks) 3,4,5 — करार की समाप्ति के पश्चात्

6 से 14 — पूर्ण वसूली के पश्चात्

XV. Subject :- Measurement of Area Irrigated and its Check by Sub-Engr.  
/I.I/SDO/CDC/E.E.

(Instructions issued under Chief Engineer, C.B. Basin, Bhopal  
No. 8-B/CDC/CB/77 dated 9-12-1977)

According to rule 172 of the M.P, Irrigation Rules, 1974, the measurement of area irrigated are to be taken by amins and checked cent percent by the Sub- Engineers and 60% by the Irrigation Inspectors. Test checks are also to be made by the Sub-Divisional Officers as well as by Canal Deputy Collector. Overall check may be made by the Executive Engineers.

2. Normally the measurements of area irrigated are done by the amins at the fag end of Rabi season and very little time is left for the checking by Sub-Engineer/Irrigation Inspector. Other higher officers, are not able to check, during the irrigation period even while they frequently visit the works. With the present method it would also be very difficult and time consuming to find out as to why a particular field has not been irrigated and what is/was the crop sown and irrigated in particular plot of land.

3. In order to make the entry and checking of irrigation effective, the graphical representation, conducive of easy checking should be followed as detailed below :-

- (i) Blue print copies of village maps (scale 1" = 330 ft.) of the commanded area should be issued to all the Amins by the Sub Divisional Officer, duly signed by him under his seal, and marked "MUJMULI MAP OF IRRIGATION RECORD" ..... year. The blue print copies should be issued to the Amins before 15th October for Rabi and Summer crops & before 16th June for Kharif crops.
- (ii) The amin shall follow the procedure indicated below, in recording the progressive irrigation on the map.
  - (a) The amin shall mark the boundaries of fields for which the agreement has been entered into i.e. Palewa Irrigation should be marked by the red dotted lines. similarly the boundaries of fields for which the agreement has been entered into for Rabi Irrigation should be marked by red firm line. For the fields for which, both Palewa and Rabi Agreement, have been entered into, the boundaries shall be both in dotted and firm red lines.

- (b) As soon as the Palewa Irrigation is done in field, the Amin shall mark the concerned fields on the map with green lines following the entries in Khasra Sudhakar vide rule 172.
- (c) As soon as the first watering is done in any field, irrespective of whether it has received Palewa or not, the Amin should colour the field on the map in green in addition to the preparation of Khasra Sudhakar vide rule 172.
- (iii) The Sub-Engineers, Sub Divisional Officer, I.I, CDC, Executive Engineers shall check the recording of irrigation/irrigated area by examining the fields and the map. The fields checked shall be indicated by him signing the fields marked on the map maintained by the Amin as per (ii) above. Date of check by the Sub Engineer, Irrigation Inspector, Sub Divisional Officer, Canal Deputy Collector, Executive Engineer should be invariably shown on the map.
- (iv) With the marking of Irrigation as instructed in para (ii) above, it would be very easy for the inspecting officer to identify the fields which have/have not received irrigation. The Inspecting Officer should then verify and go into the reason for non irrigation. The map would be available with the Amin, right through the irrigation season and the inspecting officers could check the irrigation when they are inspecting the work and need not await for the recording of the measurement. Irrigation majmuly map will also form a part of the irrigation records.
- (v) Since the first irrigation will be over latest by the 15th January the procedure indicated above would enable issue of bill (Parcha) to the cultivators by the 28th February as Stipulated in the Irrigation Rules 174, 175.

Similar procedure should be followed for Kharif and Summer Crops. The compliance shall be reported by S.D.O.'s to E.E.'s/S.E.s by 15th Jan. (Rabi), 1st May (Summer) and 15th September (Kharif) respectively. The suggestions for the improvement of the above procedure may be sent wherever found necessary.

Proforma for  
 Kharif/Rabi/Summer, Irrigation season  
 Measurement of Area irrigated and checking thereof

Irrigation Sub Division .....

S.No.	Name of the work with designed irrigation	Amin		Sub Engineer		Irrigation Inspector	
		Name, Halka & HQ	% of entries completed	Name Section & HQ	%age field check actually done	Name and HQ	%age field check actually done
1	2	3	4	5	6	7	8

C.D.C		S.D.O.		Ex. Engineer		Remarks (by E.E.)
Name and HQ	%age test check done	Name and HQ	%age test check done	Name	%age of over all check for the Sub Dn.	
9	10	11	12	13	14	15

Note :-

- (1) In Col.2 State clearly whether Disty/Tank/LIS/PUW etc.
- (2) Use separate proforma for each crop i.e. Kharif, Rabi and Summer. For each year there will be thus three proformas.
- (3) In Col. 4 Amin shall give progress for (i) entries completed in Form 19 & (ii) entries done on maps by due date.
- (4) The due date for making entries by Amins in Khasra Sudhakar (Form 19), crop wise indicated in Rule 72 are :-
  - (i) Kharif - 30th September
  - (ii) Rabi - 28th February
  - (iii) Summer - 15th May
- (5) 100% assessment should be checked by Sub Engineer and 60% by Irrigation Inspector
- (6) Opinion by Superintending Engineer, where necessary should be given in the end.

XVI.

ugj jktLo ds cdk; k dh ol iyh

, Od

ugj vijk/kka l s l cf/kr fof/kd i ko/kku

I- ugj jktLo ds cdk; k dh ol iyh %& सिंचाई पंचायत द्वारा नियत दिनांक तक वसूली के बाद, किश्त बंदी पंचायत से वापस ले ली जाती है। समस्त नहर डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारियों को म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931 के अंतर्गत उनके क्षेत्र में, नहर राजस्व के बकाया को, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार की ज्ञाक्तियां प्रदत्त की गयी हैं। भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिये हिदायतें, e-i t jktLo i trd ifji = के खंड क. 1, क्रमांक 8 में निहित हैं।

(2) भू-राजस्व के बकाया की वसूली म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 145 से 156 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। वसूली प्रक्रिया का आरंभ धारा 145 के अनुसार वसूली योग्य बकाया राशि के प्रमाणीकरण से होता है। तत्पश्चात् धारा 146 के अनुसार "मांग की सूचना धारा 147 के अधीन बकायादार पर तामील की जाती है। धारा 146, 147 एवं 155 के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्मित नियमों का प्रकाशन राजपत्र राजस्व के दिनांक 22 जनवरी 1960 के अंक में किया गया था। त्वरित संदर्भ हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 1, क्रमांक 8 एवं भू-राजस्व संहिता की धारा 144 से 156 व नियम आगे दिये गये हैं।"

II- ugj vijk/k % (1) नहर से संबंधित समझौते योग्य छोटे मोटे नहर अपराधों का निराकरण सिंचाई पंचायत समझौते के द्वारा कर सकती है। गंभीर अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहित की धारा 172 (व्यक्ति विशेष की उपस्थिति के लिये उसे सम्मन भेजने पर भी उपस्थित न होने पर दंड और जुर्माना), धारा 174 (वैधानिक साक्ष्य के लिये लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना), धारा 228 (न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुये लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न), धारा 430 (सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोडने द्वारा रिष्टि), धारा 431 (लोक सङ्करण निकास में नुकसान प्रद जलप्लायन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि) में किया गया है।

(2) उपरोक्त सभी अपराधों की निवारण हेतु नहर अधिकारी सक्षम नहीं है, अतः इन अपराधों पर कार्यवाही हेतु दंड प्रक्रिया संहित की धारा 132 एवं 133 में उल्लेखितानुसार कार्यवाही की जाना वांछनीय है, अर्थात् अपराध के संबंध में संबंधित थाने को रिपार्ट करना आवश्यक है।

III. fof/k foikkx et; iy ei fn; s x; s fn'kkfunlk & यहां यह उल्लेख भी आवश्यक है कि शासकीय सेवक के रूप में की गयी किसी भी कार्यवाही के संबंध में, हो रही

न्यायालयीन कार्यवाही का सम्मन प्राप्त होने पर योग्य एवं त्वरित कार्यवाही हेतु विधि विभाग मैन्युअल के अध्याय 8 (विभागीय अधिकारियों की सूचना पर संस्थित अपराधिक प्रकरणों का अभियोजन), अध्याय 9 (शासकीय सेवकों द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित अपराधिक प्रकरणों में सहायता), अध्याय 12 (शासन के विरुद्ध बाद एवं अन्य कार्यवाहीयां बाद संस्थित किये जाने के पूर्व की कार्यवाहीयाँ), अध्याय 13 (शासन द्वारा बाद संस्थित किये जाने हेतु स्वीकृति) एवं अध्याय 14 (अपील एवं रीवीजन) का अवलोकन उचित होगा। विधि विभाग मैन्युअल के उपरोक्त अंश, म.प्र. वर्क्स डिपार्टमेंट मैन्युअल के भाग-2, पार्ट – II के पृष्ठ 298 से 322 पर, एपेन्डीक्स 9.09 के रूप में उद्धरित है। (इन्हें भी देख लेवें)

संबंधित सभी पक्षों द्वारा कार्य के सुचारू निर्वहन हेतु उपरोक्त विवेचन में उल्लेखित संबंधित उद्धरणों की (विधि विभाग मैन्युअल के अतिरिक्त) भी यहां त्वरित संदर्भ हेतु दिया जा रहा है।

खंड – एक क्रमांक – 8
-------------------------

## I. jktLo iſrd iſji=

fo"k; %& Hk&jktLo ds cdk; k dh ol yh ds fy; s [kkrk; dh fcdh ds fy; s iLrko iLrfr djus ds l ck es vf/kdkfj; k ds ekxh'klu ds fy; s fgnk; rA

राजस्व अधिकारी भू—राजस्व के बकाया की वसूली के लिये कृषकों के खातों की बिकी का प्रस्ताव रखते समय ऐसे कदम उठाने के कारण बकायादार पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों और ऐसा सुझाव देते समय अपनी गंभीर जिम्मेदारियों को पूरी तरह अनुभव नहीं करते हैं। अक्सर बकाया भू—राजस्व की रकम सूचित करना और हमेशा की तरह इस आधार पर कि अन्य तरीकों से वसूली नहीं हो पायी है, बकायादार की भूमि की बिकी के लिये मंजूरी मांगना काफी समझा जाता है।

2. समृद्धि के समय में जब बकाया रकमें नहीं के बराबर रहती है और ऐसे प्रस्ताव यदाकदा ही रखे जाते हैं तब ऐसी स्थित में इस कार्यप्रणाली के संबंध में कोई विशेष आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि तब यह माना जा सकता है कि बकायादार की लापरवाही या बेर्झमानी या फिजूल खर्ची के कारण ही रकम बकाया रही है। किंतु जब फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ हो तब स्थायी रूप से खाते से वंचित करने की अधिकतम शास्ति लगाते समय, यह बात निश्चत करने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिये कि क्या शासन बकाया का तुरंत भुगतान करने की बात पर जोर देकर न्यायोचित कार्य कर रहा है।

3. भू—राजस्व की वसूली के लिये भूमि की बिकी का प्रस्ताव रखने से पूर्व राजस्व अधिकारी को उन परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक विचार कर लेना चाहिये, जिनके कारण रकम बकाया रही हो। उसे उन आस्तियों की तुलना, जिन पर चालू निर्धारण आधारित हो, मौजूदा आस्तियों (assets) से करनी चाहिये और गांव के खाते के बोये गये क्षेत्र और उनकी पैदावार आदि का विस्तार से जांच करनी चाहिये तथा प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर इस बात पर विचार करना चाहिये कि कहीं इतना हास तो नहीं हुआ है, जिसके लिये उदारता बरतना न्यायोचित कहा जा सके।

4. यदि इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद राजस्व अधिकारी का यह मत हो कि रकम भूमिधारी की फिजूलखर्ची, लापरवाही, या बेर्झमानी के कारण बकाया रही है, तो पहले यह विचार करना चाहिये कि क्या बिकी की अपेक्षा अन्य हलके उपाय से बकाया की वसूली नहीं की जा सकती है और कड़े उपाय तभी उपनाना चाहिये जबकि अन्य कोशिशों से सफलता न मिले।

5. किसी बकायादार के खातों की बिक्री पर विचार करने के पहले वसूली करने वाला अधिकारी सामान्यतः सबसे पहले कटाई के काफी पहले भूमि पर खड़ी फसल और भूमि को कुर्क करेगा। फसलों का आधा मूल्य या उससे कम रकम, जो भी आवश्यक हो, शासन को प्राप्त रकम के लिये समायोजित की जायेगी और शेष रकम बकायादार को गुजारे के लिये छोड़ दी जायेगी। किसी भी स्थिति में भूमि नहीं बेची जानी चाहिये, किन्तु वह कुर्क रखी जा सकेगी। शासन को प्राप्त पूरी रकम की वसूली होने तक प्रत्येक वर्ष यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। जब कभी भी खड़ी फसल कुर्क की जाय तब निषेध आदेश में यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिये कि कृषक हमेशा की तरह फसल काट सकेगा और कटाई खर्च हमेशा की तरह अनाज से दे सकेगा और वह फसल गाह भी सकेगा किन्तु गाहने से प्राप्त अनाज संबंधित तहसीलदार की सहमति के बिना बेचा नहीं जा सकेगा। यदि व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण ऊपर उल्लेखित प्रक्रिया द्वारा वसूली करना संभव नहीं हो या यदि उपर्युक्त प्रक्रिया से वसूली करने के अनावश्यक रूप से बहुत अधिक समय लगने की संभावना हो, तो वसूली अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा की जानी चाहिये।

6. अधीनस्थ राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट में यह स्पष्टतया बतलाया जाना आवश्यक है कि प्रस्तावित बिक्री उचित और अपरिहार्य है तथा रकम खराब मौसम से हुई, अस्थायी खराबी के कारण बकाया नहीं रही है। अतएव अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय राजस्व अधिकारी इस परिपत्र की कंडिका 3 और 4 के अधीन अपनी जांच पड़ताल के परिणाम या विवरण भी पेश करेगा। इस रिपोर्ट को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिये उसे साथ फार्म 'अ' में एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

7. रिपोर्ट में बकायादार की वित्तीय स्थिति का सभी दृष्टियों से विवेचन किया जाना चाहिये। विचाराधीन खाते के अतिरिक्त बकायादार की आय के अन्य साधन, जैसे अन्य भू-संपत्ति, दुकानें आदि भी हो सकते हैं। यह संभव है कि बकायादार के बैल किसी महामारी से मर चुके हों और उसने खेती के कार्य के लिये अन्य बैल खरीदे हों। यह भी हो सकता है कि बकायादार की फसलें आग लगने से नष्ट हो गयी हों। यह भी हो सकता है कि बकायादार ने देय तकाबी की बकाया रकम का पिछले कुछ दिनों में ही भुगतान किया हो। मतलब यह कि बकायादार की स्थिति का पूरा-पूरा अध्ययन किया जाना चाहिये। बकायादार के पिछले इतिहास का भी अध्ययन किया जाना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः नियत समय के भीतर भू-राजस्व का भुगतान करता रहा हो, तो वसूली के संबंध में कुछ ढिलाई बरती जा सकती है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति आदतन बकाया रखता हो, तो ऐसे बलात् आदेशिका जारी किये बिना भू-राजस्व का भुगतान न करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये।

8. यह हो सकता है कि बकायादार के खेतों में कोई फसल प्रयोग नहीं किया गया हो। फार्म 'अ' में तैयार किये जाने वाले विवरण के खाने 6 में उल्लेखित अनुमानित औसत आनावारी पैदावारी ग्राम में किये गये फसल प्रयोगों पर आधारित होगी। इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक पटवारी को अपने हलके के ग्राम में कम से कम पांच फसल प्रयोग करने चाहिये, चाहे ग्राम की फसलों को नुकसान पहुंचा हो या नहीं।

Qkez v  
(कंडिका 6 और 8)

*Hk&jktLo dh ol yh ds | cik e [krka dh fcdh | s | cf/kr fooj . k*

ग्राम.....तहसील.....जिला.....मध्य प्रदेश

भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	खाते के भू-मापन क्रमांको के क्रमांक	खाते के प्रत्येक भू-मापन क्रमांक का भू-राजस्व	राजस्व वर्ष जिनके संबंध में भू-राजस्व बाकी निकल रहा हो	प्रत्येक राजस्व वर्ष के संबंध में भू-राजस्व की बकाया रकम	चालू राजस्व वर्ष और पिछले दो राजस्व वर्षों की ग्राम की अनावारी पैदावार का अनुमानित औसत और साथ ही भू-राजस्व के निलंबन या छूट के, यदि कोई हों, ब्यौरे	चालू राजस्व वर्ष और पिछले दो राजस्व वर्षों में खाते की पड़त भूमि का, यदि कोई हो क्षेत्रफल	बकायादार के विरुद्ध भू-राजस्व की बकाया रकम की वसूली के लिये की गई कानूनी कार्यवाही के ब्यौरे
1	2	3	4	5	6	7	

II-

Hk&jktLo | fgr 1959 ds vdk

/kkjk 145 | s 156 , o /kkjk 146] 147] 155 ds vrxt fu; e%

145- i ekf.kr ys[kk cdk; k rFkk cdk; knkj ds | cdk e; | k{; gksxk %&

(1) कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखे का विवरण, जब तक प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाए इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए शासन को देय बकाया या उसकी रकम का और उस व्यक्ति का जो बकायादार हो, सही विवरण माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण तैयार करने से पूर्व बकायादार को कोई भी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

146- ekak dhl | puk & तहसीलदार या नायब तहसीलदार बकाया की वसूली के लिए धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी होने के पूर्व किसी भी बकायादार पर मांग की सूचना की तामील करा सकेगा।

147- cdk; k dhl ol yh ds fy; s vknf'ldk & शासन को देय भू-राजस्व का बकाया निम्नलिखित आदेशिकाओं में से किसी एक या अधिक के द्वारा तहसीलदार द्वारा वसूल किया जा सकेगा –

(क) चल संपत्ति को कुर्की तथा विक्रय द्वारा;

(ख) उस खाते, जिस पर बकाया प्राप्त हो, कुर्की तथा विक्रय द्वारा और जहां ऐसा खाता एक से अधिक परिमाप अंक या भूखंडांक से बनता हो, तो ऐसे परिमाप अंकों या भूखंडांकों में से एक या अधिक के, जैसे बकाया वसूल करने के लिए आवश्यक समझा जाए, विक्रय द्वारा;

(खख) उस खाते की जिस पर बकाया शोध्य हो, कुर्की द्वारा तथा उसे धारा 154—अ के अधीन पट्टे पर देकर;

(खखख) बकायादार के किसी अन्य खाते की, जो कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता हो, कुर्की द्वारा तथा उसे धारा 154—अ के अधीन पट्टे पर दे कर;

(ग) बकायादार की किसी अन्य अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा; परंतु चरण (क) तथा (ग) में उल्लेखित आदेशिकाओं से निम्नलिखित की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा प्राप्त नहीं होगी अर्थात्;

(एक) बकायादार, उसकी पत्नी तथा बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र भोजन बनाने के बर्तन, पत्नी की शय्या तथा बिस्तर और ऐसे वैयक्तिक आभूषण जो धार्मिक प्रथा के अनुसार किसी स्त्री द्वारा नहीं त्यागे जा सकते हों;

- (दो) कारीगरों के औजार और यदि बकायादार कृषक हो तो यांत्रिक शक्ति द्वारा चलित उपकरण के अतिरिक्त उसके कृषि कर्म संबंधी उपकरण और ऐसे पशु तथा बीज जो तहसीलदार की राय में उस रूप में अपनी अजीविका कमाने में उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों;
- (तीन) ऐसी वस्तुएं जो केवल धार्मिक धर्मस्वों के उपयोग के लिए पृथक रख दी गई हो;
- (चार) किसी कृषक के तथा उसके द्वारा दखल में लिए गए गृह तथा अन्य भवन, उसकी सामग्रियां तथा उसके स्थलों एवं उस भूमि के सहित, जो उससे बिल्कुल लगी हुई हो और उपयोग के लिए आवश्यक हों;
- परंतु यह और भी कि खंड (ख) में निर्दिष्ट की गई आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा उस दशा में नहीं देगी, जहां कि बकायादार —
- (एक) अनुसूचित क्षेत्र में छ हेक्टेयर या छ हेक्टेयर से कम भूमि; या
- (दो) अन्य क्षेत्रों में, चार हेक्टर या चार हेक्टर से कम भूमि;  
धारण करता हो।

Li "Vhdj.k & इस परंतुक के प्रयोजन के लिये "अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है कोई क्षेत्र जो भारत के संविधान की पंचम अनुसूचि की कंडिका 6 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो"

fu; e & राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 192—6477 सात—ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 146 तथा 14 के अधीन निम्नलिखित नियम बनाए हैं —

fu; e

1. इन नियमों में :—
  - (क) "संहिता" से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959  
(1959 क्रमांक 20) से हैं,
  - (ख) "प्ररूप" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्ररूप से है
  - (ग) "धारा" से तात्पर्य संहिता की धारा से है।
- d- /kkjk 146 ds v/khu ek̤ dh I puk
2. मांग की सूचना प्ररूप 'क' में दो परतों में प्रचलित की जाएगी तथा वह प्रचलित करने वाले पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रायुक्त होगी।
3. विभिन्न त्रुटिकर्ताओं (बकायादारों) के विरुद्ध मांग की सूचना पृथक—पृथक प्रचलित की जाएगी।

[k- /kkj k 147 eः fufnI'V vknf' kdk &

4. चल संपत्ति की कुर्की का प्रत्येक अधिपत्र (वारंट) प्ररूप 'ख' में होगा तथा यदि विक्रय किया जाना है, प्ररूप 'घ' में उद्घोषणा की जाएगी।

5. जब धारा 147 (ख) या 147 (खख) या 147 (खखख) या धारा 147 (ग) के अधीन अचल संपत्ति कुर्की की जाना आदेशित हो, कुर्की प्ररूप 'ग' में निषेधाज्ञा प्रचलित करने की जाएगी और इसकी उद्घोषणा संहिता के परिशिष्ट की अनुसूची 1 के नियम 23 (2) में विहित नीति से की जाएगी।

अनुसूची 1 के नियम 23 (2) का उद्धरण।

(23(2)—आदेश की उद्घोषणा ऐसी संपत्ति पर के या उसके समीपवर्ती किसी स्थान पर डॉडी पीट कर या अन्य रुड ढंग से की जाएगी और आदेश की एक प्रति संपत्ति के सहजगोचर भाग पर और उसके पश्चात् पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाई जाएगी)

5 क. जहां स्थावर संपत्ति नीलाम द्वारा पट्टे पर दी जानी हो, वहां उद्घोषणा प्ररूप 'ग-1' में जारी की जाएगी।

5 ख. पट्टा दिये बाबत मंजूरी दी जाने के पश्चात् प्ररूप 'ग-2' में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।

6 जब अचल संपत्ति का विक्रय किया जाना हो, विक्रय के हेतु उद्घोषणा –

प्ररूप 'ड' में – धारा 147 (ख) के अधीन विक्रय के प्रसंग में

प्ररूप 'छ' में – धारा 147 (ग) के अधीन विक्रय के प्रसंग में

की जाएगी।

7. विलोपित

8. अचल संपत्ति का विक्रय के पश्चात् विक्रय का प्रमाण पत्र –

प्ररूप 'च' में – धारा 147 (ख) के अधीन विक्रय के प्रसंग में, तथा

प्ररूप 'ज' में – धारा 147 (ग) के अधीन विक्रय के प्रसंग में प्रचलित किया जाएगा

9. यदि धारा 147 (ख) या 147 के अधीन आदेशिका जिस संपत्ति के विरुद्ध दी जाना है, वह उस जिले से, जिसमें बकाया उत्पन्न हुआ, अन्य में स्थित है, उस जिले का कलेक्टर अप्रक्षित आदेशिका उस जिले के कलेक्टर के प्रस्ताव पर जिसमें बकाया उत्पन्न हुए, प्रचलित करेगा।

i i d

(नियम 2 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 146 के अधीन मांग की सूचना

के न्यायालय में.....

पुत्र..... ग्राम..... तहसील..... जिला..... के निवासी को ।

आपसे एतद द्वारा यह सूचना ग्रहण कने की अपेक्षा की जाती है कि संलग्न विवरण पत्र दिए गए ब्यौरे के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के लेखे में आप पर रु..... देय है तथा यह कि यदि शास्ति एवं आदेशिका शुल्क (जो रु..... है) सहित इस सूचना की प्राप्ति के ..... दिन के अंतर्गत उसका भुगतान नहीं किया गया तो देयों की वसूली के हेतु आपसे विरुद्ध विधि के अनुसार अवपीडक कार्यवाही की जाएगी।

गांव खाता	अंक	बकाया का लेखा	शास्ति	आदेशिका शुल्क	कुल देय राशि	निवाह का दि.
1	2	3	4	5	6	7
मुद्रा		रु.	रु.	रु.	रु.	

दिनांक

तहसीलदार

i k: i [k

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (क) के अधीन चल संपत्ति की कुर्की का अधिपत्र (वारंट)

..... को (उक्त व्यक्ति का नाम एवं पदाधिकारी जिसे अधिपत्र (वारंट) के निष्पादन से प्रभारित किया गया है)

क्योंकि श्री ..... पुत्र..... ग्राम.....

तहसील ..... जिला ..... के निवासी ने भू-राजस्व के लेखे में संलग्न विवरण, में दिये गये ब्यौरे के रूप में रु..... के भुगतान में अवहेलना की है, आपको एतद्वारा उक्त ..... की चल संपत्ति कुर्क करने की तथा देय संपूर्ण राशि का पटेल को भुगतान नहीं किया गया, उसे इस न्यायालय की अनंतर आज्ञा पर्यन्त धारण करने की आज्ञा दी जाती है।

आपको यह अधिपत्र (वारंट) दिनांक .....20..... को या उससे पूर्व पृष्ठ लेख सहित, जिसमें उस दिनांक का जिसको और उस रीति का जिससे इसका निष्पादन हुआ या इसका क्यों निष्पादन नहीं हुआ, प्रमाण न हो, वापिस लौटाने का भी आदेश दिया जाता है—

vud ph

गांव	खाता क्रमांक	बकाया की राशि	आदेशिका शुल्क	शास्ति	कुल देय राशि
1	2	3	4	5	6
		रु.	रु.	रु.	रु.

मुद्रा

दिनांक

तहसीलदार

i t i x

(नियम 5, (5—क तथा 5 —) देखिए)

vpy | i fRr dI dphl

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख), {147 (खख), 147 (खखख)} तथा 147 (ग) के अधीन निषेधक आज्ञा।

क्योंकि श्री .....पुत्र.....ग्राम.....तहसील.....

जिला..... के निवासी ने उस पर..... के लेखे में देय रु..... के, जिनका विवरण निम्नानुसार है, भुगतान में त्रुटि की है :—

यह आदेश दिया जाता है कि उक्त..... निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट संपत्ति को विक्रय, दान या अन्यथा अंतरित या भारयुक्त करने से इस कार्यालय के अंतर्गत आदेश तक निषेधित एवं रोके जाते हैं और एतद्वारा निषेधित और रोका जाता है तथा समस्त व्यक्ति उसे क्य, दान या अन्यथा प्राप्त करने से उसी प्रकार निषेधित हों और एतद्वारा निषेधित किए जाते हैं।

vud ph

(संपत्ति का वर्णन)

मेरे हस्ताक्षर एवं इस कार्यालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक .....20..... को प्रचलित किया गया।

मुद्रा.

तहसीलदार

## i i x & 1

(नियम 5 – क देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (खख) तथा 147 (खखख) के अधीन खाते को पट्टे पर देने की उद्घोषणा।

चूंकि श्री ..... आत्मज..... निवासी ग्राम.....  
 ..... तहसील..... जिला..... द्वारा कालम (5) में  
 उल्लेखित भू-राजस्व संहित की बकाया तथा आदेशका फीस के कारण शोध्य.....  
 ..... रूपयों की वसूली हेतु नीचे उल्लेखित खाता/खाते कुर्क किया गया/किये गए है।

अतएव एतद द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि शोध्य रकम, पट्टे पर न देने के लिए इसमें निश्चित दिन के पूर्व, पटेल को न चुकाई गई, तो उक्त खाता/खाते उस पर/उन पर अधिरोपित समस्त भारों और उसके/उनके संबंध में किए गए समस्त अनुदानों से एवं संविदाओं से मुक्त ..... कर दिनांक को ..... बजे या लगभग ..... बजे सार्वजनिक नीलाम द्वारा ..... वर्षों की कालावधि के लिए पट्टे पर दे दिया जाएंगे।

ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल	निर्धारण	बकाया
1	2	3	4	5
		एकड	रूपये	रूपये

टिप्पणी :–(एक) प्रत्येक खाते पर शोध्य भू-राजस्व की बकाया कालम 5 में पृथक रूप में उल्लेखित की जानी चाहिए।

(दो) यदि किसी खाते में एक से अधिक परिमाप अंक/भू-खंडाक या उपखंड समाविष्ट हों तो पट्टे को संचालित करने वाले पदाधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि व ऐसे क्रमांक में से एक या अधिक क्रमांक को जैसा कि बकाया वसूल करने के हेतु आवश्यक समझा जाए, पट्टे पर दे।

खाते का पट्टे पर दिया जाना निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्ययीन होगा :–

(एक) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित “भूमि हीन व्यक्ति” ही नीलाम में बोली लगाने के लिए पात्र होगा।

(दो) पट्टेदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग के किसी अधिकार का विक्रय, दान, बंधक, दान, उस-पट्टे य अन्य किसी भी रीति से अंतरण नहीं करेगा

तथा विक्रय, दान बंधक, उस—पट्टे या अन्य किसी भी प्रकार से किया गया  
ऐसा अंतरण शून्य होगा।

- (तीन) पट्टेदार भूमि का केवल कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा।
- (चार) पट्टेदार अपने पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि पर निर्धारण का भुगतान  
करेगा।
- (पांच) पट्टेदार भूमि या उसके किसी भाग पर स्थायी प्रकार की काई रचना खड़ी  
नहीं करेगा।
- (छह) पट्टेदार पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किये गये सुधारों के बारे में  
उसके द्वारा किये व्ययों के बाबत् किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार  
नहीं होगा।
- (सात) पट्टेदार, उसके पक्ष में नीलाम की बोली खत्म की जाने के तुरंत पश्चात्  
बोली की कुल रकम का भुगतान करेगा या वह बोली की रकम का  
कम—से—कम  $1/4$  भाग तुरंत भुगतान कर सकेगा तथा शेष रकम का,  
नीलाम के दिनांक से 15 दिन के भीतर, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- (आठ) यदि शेष रकम का पट्टेदार द्वारा उल्लिखित कालावधि के भीतर भुगतान न  
किया जाय, तो पूर्व में ही जमा की गयी बोली की रकम सम्पहृत कर ली  
जायेगी तथा पुनः नीलाम किया जायेगा।
- (नौ) यह तहसीलदार के विवके पर होगा कि वह अधिकतम बोली को स्वीकार करे  
या न करे तथा भूमि को पट्टे पर दे।
- (दस) पट्टे की कालावधि समाप्त हो जाने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जायेगा  
तथा पट्टे के अधीन भूमि मूल स्वामी को अंतरित कर दी गई समझी  
जायेगी।

दिनांक .....20.....

.....

मुद्रा

तहसीलदार

## i t i x & 2

(नियम 5 – ख देखिये)

पट्टा विलेख

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (खख) 147(खखख) के अधीन .....  
ग्राम .....तहसील .....जिले में स्थित उस भूमि का जिसे संलग्न अनुसूची  
में प्रविशिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है, यह अस्थायी पट्टा .....तहसील .....  
जिला के तहसीलदार द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टादाता कहा गया है) निम्नलिखित  
निबंधनों तथा शर्तों पर प्रदान किया जाता है :—

1. पट्टेदार भूमि को कृषि वर्ष ..... से कृषि वर्ष तक ..... तक धारण  
करेगा।
2. पट्टेदार भूमि का केवल कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग करेगा।
3. पट्टेदार भूमि या उसके किसी भाग पर स्थायी प्रकार की कोई रचना खड़ी नहीं  
करेगा।
4. पट्टेदार, पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किये गये सुधार के बारे में उसके  
द्वारा किये गये व्ययों के लिये किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
5. पट्टेदार, पट्टे के दिनांक के आगामी राजस्व वर्ष से भूमि के पूरे निर्धारण का  
भुगतान करेगा।
6. पट्टेदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग के किसी अधिकार का विक्रय दान,  
बंधक, उप-पट्टे या अन्य किसी भी रीति में अंतरण नहीं करेगा तथा विक्रय, दान,  
बंधक, उप-पट्टे या अन्य किसी भी प्रकार से किया गया ऐसा अंतरण शून्य होगा।
7. पट्टेदार की कालावधि समाप्त हो जाने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जायगा तथा  
पट्टे के अधीन भूमि मूल स्वामी को अंतरित कर दी गयी समझी जायगी।
8. यदि पट्टे उल्लेखित दिनांक को भू-राजस्व का भुगतान न करे या ऊपर उल्लेखित  
की गयी शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग करें, तो तहसीलदार भूमि में प्रवेश कर  
सकेगा तथा खड़ी फसलों (यदि कोई हो) सहित भूमि का कब्जा ले सकेगा और  
तहसीलदार उस सम्बन्ध में कोई नुकसानी या प्रतिकर चुकाने के दायित्वाधीन नहीं  
होगा।

vud ph

ग्राम का नाम, बंदोबस्त क. तथा पटवारी हल्का क.	तहसील	सर्वेक्षण क्रमांक	पट्टे पर दी गई भूमि का क्षेत्र	निर्धारण	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... को प्रदत्त

साक्षीगण –

1. ....

2. ....

तहसीलदार

मैंने ऊपर उल्लिखित की गई शर्त पढ़ तथा समझ ली हैं और मैं उनका पालन करने का करार करता हूँ।

साक्षीगण –

1. ....

पट्टेदार के हस्ताक्षर

2. ....

i t i & ?k

(नियम 4 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 के अधीन चल संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा।

क्योंकि नीचे निर्देशित चल संपत्ति ..... पुत्र ..... ग्राम ..... तहसील ..... जिला के निवासी पर देय भू-राजस्व के बकाया, आदेशिका-शुल्क और शास्ति के लेखे में ..... की वसूली के हेतु कुर्क की गयी है;

एतद्दारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय के हेतु नियत दिनांक से पूर्व राशि का भुगतान पटेल को नहीं किया जाता तो उक्त संपत्ति का सार्वजनिक घोष-विक्रय (नीलाम) द्वारा स्थान ..... पर दिनांक ..... 20 ..... को बजे ..... या उस समय के लगभग विक्रय कर दिया जायगा।

चल संपत्ति का वर्णन	वस्तुओं की संख्या	धारा 147 के अधीन मुक्त की गई संपत्ति
1	2	3

दिनांक .....

मुद्रा

तहसीलदार

i k: i & 3

(नियम 6 देखिये)

[kkrs ds fodz dh mn?kks'k. kk

(मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख) के अधीन)

क्योंकि नीचे निर्देशित खाता (तों) को.....पुत्र.....ग्राम.....  
 .....तहसील.....जिला.....निवासी पर देय स्तंभ (5) में निर्देशित  
 भू-राजस्व के बकाया और आदेशिका के शुल्क के लेखे में रु.....की वसूली के हेतु  
 कुर्क किया गया है;

एतदद्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय के हेतु नियत दिनांक से पूर्व  
 देय राशि का भुगतान पटेल को नहीं कर दिया जाता है तो उक्त खाते (तों) का विक्रय स्थान.....  
 .....पर दिनांक .....20.....को .....बजे उस समय के लगभग उस (उन) पर  
 रोपित समस्त भारों में तथ उस (उन) के बारे में किये गये समस्त अनुदानों से मुक्त रूप में  
 नीलाम कर दिया जायगा।

गांव	खाता अंक	क्षेत्रफल	निर्धारण	बकाया
1	2	3	4	5
		एकड़	रु.	रु.

- टिप्पणी – (क) प्रत्येक खाते पर बकाया भू-राजस्व स्तंभ (5) में पृथक रूप से दिखाया जाना  
 आवश्यक है।  
 (ख) यदि किसी खाते में एक से अधिक परिमाप-अंक/भू-खंडांक या उप-खंड  
 अंतर्विष्ट हों तो, विक्रय का संचालन करने वाले पदाधिकारी को ऐसे अंकों में  
 से एक या अधिक का, जैसा बकाया की वसूली के हेतु आवश्यक समझा  
 जाय, विक्रय करने की छूट होगी।

दिनांक.....20.....

तहसीलदार

i t i & p

(नियम 8 देखिये)

Hkfe ds ḡtq fodz i tek.k & i =

(मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख) के अधीन)

..... के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक ..... वर्ग एवं अनुक्रमांक ....  
वर्ष 20.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र.....गांव..... तहसील.....  
जिला..... के निवासी को दिनांक ..... 20..... को आयोजित  
घोष विक्रय (नीलाम) द्वारा विक्रय में नीचे निर्देशित खाते का क्रेता घोषित किया गया है।

ऐसे विक्रय द्वारा क्रेता को वह संपत्ति उस पर रोपित समस्त भारों से तथा क्रेता से  
भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये दावों एवं संविदाओं से मुक्त रूप में हस्तांतरित हुई है:-

गांव	खाता अंक	क्षेत्रफल	निर्धारण	खाते में समाविष्ट परिमाप—अंकों भू-खंडांकों के विवरण	अभिलिखित भूमि स्वामी का नाम	धनराशि जिसमें क्रय किया गया
1	2	3	4	5	6	7
			एकड़	रु.		रु.

दिनांक.....20.....

मुद्रा

तहसीलदार

i k: i N

(नियम 6 देखिये)

vpy | i fRr ds fodz dhi mn?kk?k. kk

(मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ग) के अधीन)

क्योंकि नीचे वर्णित अचल संपत्ति श्री..... पुत्र..... गांव.....  
 ..... तहसील..... जिला..... के निवासी पर ..... के खाते में देय  
 रु..... आदेशिका शुल्क के लेखे में देय रूपये..... की वसूली के हेतु कुर्क की गई<sup>2</sup>  
 है।

एतद्द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय के हेतु नियत दिनांक से पूर्व  
 कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता, उक्त संपत्ति का सार्वजनिक घोष विक्रय (नीलाम)  
 द्वारा ..... स्थान पर दिनांक ..... 20..... को ..... बजे या उस समय के  
 लगभग विक्रय कर दिया जायेगा।

विक्रय का विस्तार उक्त संपत्ति में केवल उक्त बकायादार के स्वत्वाधिकारों एवं हितों  
 तक सीमित होगा।

वर्णन	संपत्ति का व्यौरा निर्धारण, यदि कोई हो	किसी भी ज्ञात भार आदि की टिप्पणी
1	2	3

दिनांक ..... 20.....

मद्रा

तहसीलदार

i k: i t

(नियम 8 देखिये)

vpy | i fRr dk foØ; i ek.k&i =

(मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ग) के अधीन)

..... के न्यायालय में वर्ष एवं अनुक्रमांक ..... वर्ष .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र ..... ग्राम .....

..... तहसील ..... जिला ..... के निवासी को ..... दिनांक .....

19..... को आयोजित घोष विक्रय (नीलाम) में विक्रय में नीचे निर्देशित अचल संपत्ति का क्रेता घोषित किया गया है।

ऐसे विक्रय द्वारा क्रेता को उक्त संपत्ति में श्री ..... पुत्र .....

का ..... स्वत्व स्वात्वाधिकारी और हित अंतरित हुये हैं :—

I i fRr dk C; kjk

वर्णन	स्थान	निर्धारण, यदि कोई हो	अभिलिखित स्वामी का नाम	धनराशि जिसमें क्रय किया गया
1	2	3	4	5
		रु.		रु.

दिनांक ..... 20.....

मद्रा

तहसीलदार

148. cdk; k ds Hkkx ds : i e; ol myh ; k; [kp] — धारा 146 के अधीन मांग की सूचना की तामील करने या धारा 147 की किसी आदेशिका को जारी करने और प्रवर्तित करने का खर्च उस बकाया के भाग के रूप में वसूली योग्य होगा, जिसके सम्बन्ध में सूचना की तामील की गयी थी या आदेशिका जारी की गयी थी।

149. vll; ftyk; e; vknf' kdkvka dh i orlu — धारा 147 के खंड (क) तथा (ग) में उल्लेखित आदेशिकाओं का प्रवर्तन या तो उस जिले में, जिसमें चूक की गयी हो, या किसी अन्य जिले में कराया जा सकेगा।

150. i R; ki fRr ds | kFk Hkxrku rFkk ol myh ds fy; s okn – (1) यदि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही की जाय, तो वह संपत्ति का विक्रय संपन्न होने के पूर्व किसी भी समय मांगे गये धन का भुगतान कर, सकेगा और साथ ही कार्यवाही करने वाले राजस्व पदाधिकारी को स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित विरोध पत्र प्रस्तुत कर सकेगा और तदृपरांत वे रोक दी जायेंगी।

(2) उपधारा (1)के उपबन्धों का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 145 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी उप खंडीय पदाधिकारी को इस आशय का आवेदन कर सकेगा कि कुछ भी प्राप्य नहीं था या यह कि प्राप्त रकम उस रकम से कम थी जिसकी वसूली के लिये कार्यवाही की गयी थी और उप खंडीय पदाधिकारी इस प्रकार उठाई गयी आपत्ति का विनिश्चय करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन दिये गये उप खंडीय पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, किंतु संबंधित व्यक्ति प्रत्यापत्ति के साथ भुगतान की गयी धनराशि या उसके भाग की वसूली के लिये वाद संस्थित कर सकेगा।

151. fod; vlxek; d; i; fDr – (1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक विक्रय के आगम प्रथमतः उस बकाया के, जिसके कारण विक्रय किया गया था तथा ऐसे विक्रय संबंधी व्यय के भुगतान में, द्वितीयतः संबंधित क्षेत्र में तत्समय प्रदृत्त किसी विधि के अधीन बकायादार से प्राप्य उपकरों में किसी बकाया के भुगतान तृतीयतः बकायादार द्वारा राज्य शासन को देय किसी अन्य बकाया के भुगतान में, और चतुर्थः बकायादार द्वारा किसी सहकारी संस्था को देय किसी बकाया के भुगतान में प्रयुक्त किये जायेंगे और तत्पश्चात् बचा आगम, यदि कोई हो, उसको यह जहां एक से अधिक बकायादार हों तो ऐसे बकायादारों को, बेची गयी संपत्ति में उनके अपने अपने अंशों के अनुसार भुगतान योग्य होगा।

परंतु बचे हुये आगम का भुगतान बकायादार या बकायादारों को उस समय तक नहीं किया जायगा जब तक कि चल संपत्ति के मामले में विक्रय के दिनांक से या अचल संपत्ति के मामले में विक्रय के पुष्टिकरण के दिनांक से दो माह समाप्त न हो जाये।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी धारा 147 के खंड (ग) के अधीन विक्रय के आगम प्रथमतः बेची गई अचल संपत्ति के लिये विक्रय के दिनांक से बकायादार द्वारा देय

भू—राजस्व के भुगतान में किये जायेंगे और बचा हुआ आगम, यदि कोई हो, उपधारा (1) के अनुसार प्रयुक्त किया जायेगा ।

### 152- cdk; k ds dkj . k cph Hkfe Hkkjka | s eDr j gsh &

1. जब तक कि उपखंडीय पदाधिकारी विक्रय का आदेश देते समय अन्यथा निर्देश न दें उस भूमि का, जो उसके संबंध में प्राप्य भू—राजस्व के बकाया के कारण बेची गई हो, केता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर आरोपित समस्त भारों से और उसके संबंध में किये गये समस्त अनुदानों तथा संविदाओं से मुक्त अर्जित करेगा ।

2. ऐसे वृक्षों या वृक्षों की उपज के संबंध में जो उस भूमि के, जिसमें वे खड़े हो भूमि स्वामी की संपत्ति हो या किसी समय रह चुकी हो, कोई अंतरण, अनुदान या संविदा उपधारा (1) के तात्पर्य के अंतर्गत ऐसी भूमि के संबंध में किया गया अनुदान या की गई संविदा समझी जायेगी ।

153- drk dk gd & जहां अचल संपत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किया जाये और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया हो, तो संपत्ति उस समय से जब संपत्ति का विक्रय किया जाये तथा उस समय से नहीं जब विक्रय पूर्ण हो जाये, केता में निहित हुई समझी जायेगी ।

### 154- fodz | s i wZ i k; Hk&jktLo ds fy; s drk dk nk; h u gkuk

धारा 138 या धारा 139 में किसी बात के होते हुए भी क्रय के प्रमाण—पत्र में नामांकित व्यक्ति विक्रय के दिनांक से पूर्व किसी कालावधि के लिये भूमि के संबंध में देय भू—राजस्व के लिये दायी नहीं होगा ।

154&v- ml [kkrs dks ft | ds | cdk e cdk; k 'kks' ; gks ; k cdk; knkj ds fd | h vU; [kkrk dks i VVs ij nus dh rgl hynkj dh 'kfDr; k&

(1) जहां किसी खाते के संबंध में भू—राजस्व का बकाया शोध्य हो या जहां कोई धन उसी रीति में वसूली योग्य हो जिसमें धारा 155 के अधीन भू—राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है । वहां तहसीलदार इस संहिता में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, धारा 147 के खंड (खख) या (खखख) के अधीन उस खाते को कुर्क करने के पश्चात्, उस खाते को जिस पर बकाया शोध्य हो, या बकायादार के किसी अन्य खाते को जो कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता हो, बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे निबधनों तथा शर्तों

पर जिन्हें कलेक्टर नियत करें, 10 वर्ष से अधिक ऐसी कालावधि के लिये पट्टे पर दे सकेगा जो ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है।

(2) इस धारा की कोई भी बाद किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भू-राजस्व के बकाया के भुगतान के लिये या किसी ऐसे धन के जो उसी रीति में वसूली योग्य हो, जिसमें धारा 155 के अधीन भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, बकाया के भुगतान के लिये इस संहिता के अधीन दायी हो।

(3) पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर वह खाता संबंधित व्यक्ति को, ऐसे खाते के संबंध में बकाया के लिये राज्य सरकार के किसी भी दावे से मुक्त रूप में या ऐसे धनों के लिये, जो उसी रीति में वसूली योग्य हों, जिसमें धारा 155 के अधीन भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, राज्य सरकार के या किसी भी अन्य प्राधिकारी के किसी भी दावे से मुक्त रूप में वापिस दिला दिया जायेगा, जिन दावों की पुष्टि के लिये वह खाता उपधारा (1) के अधीन पट्टे पर दिया गया था।

155- **॥५॥ jktLo ds cdk; k ds : i e॥१॥ yh ; k; /ku &**

निम्नलिखित धन, यथाशक्य, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसी रीति में जिसमें भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, वसूल किये जा सकेंगे :—

- (क) ऐसे प्रभारों के अतिरिक्त जो धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन भू-राजस्व में सम्मिलित हैं, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन देय या वसूली योग्य समस्त लगान, रॉयल्टी (स्वामित्व शुल्क), जल-कर, उप-कर, फीस, प्रभार, प्रीमिया, शास्त्रियां, अर्धदंड तथा व्यय (खर्च);
- (ख) राज्य शासन को किसी ऐसे अनुदान, पट्टे या संविदा के अधीन प्राप्य होने वाले समस्त धन जिसमें यह प्रावधान हो कि वे उसी रीति में वसूली योग्य होंगे जिसमें भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है ;
- (खख) किसी प्रत्याभूति-संविदा के अधीन प्रत्याभूत की गई रकम की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किये गये समस्त धन जिनके संबंध में उस प्रत्याभूति – संविदा में यह उपबंध हो कि वे उसी रीति में वसूली योग्य होंगे जिसमें भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है;
- (ग) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उसी रीति में, जिसमें भू-राजस्व के बकाया वसूल किये जाते हैं, वसूली योग्य घोषित किये गये समस्त धन; और
- (घ) कोई भी धनराशि जिसको, राज्य के किसी क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियुक्त समापक द्वारा संस्था की आस्तियों

अंशदान के रूप में या समापन के खर्च के रूप में वसूल किया जाने के लिये आदेश दिया गया हो;

परंतु खंड (घ) में उल्लेखित धन राशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक ऐसे आवेदन पत्र के साथ ऐसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये पंजीयक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र कि इस धन राशि की वसूली भू—राजस्व के बकाया के रूप में की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो।

(ङ) समस्त धन –

(एक) जो मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कृषकों को कृषि के भूमि सुधार या भूमि सुधार के प्रयोजनार्थ बेचे गये कृषिक उपकरणों या अन्य सामग्री के विक्रय संबंधी किसी करार के, जो कि उक्त निगम द्वारा किया गया हो, अधीन शास्ति के कारण उक्त उपकरणों या सामग्री के दामों के कारण या अन्यथा उक्त निगम को देय होते हों;

(दो) जो उक्त निगम द्वारा किये गये किसी उधार का उक्त निगम के साथ किये गये किसी पट्टे, संविदा या करार के अधीन या उस निगम के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगम को शोध्य किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगम को देय होते हों;

परंतु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धन राशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक की ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबंध निर्देशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र, की उक्त धनराशि की वसूली भू—राजस्व के भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो।

(च) समस्त धन जो –

(एक) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा उद्यमियों को किसी उद्योग की स्थापना करने, उसका विस्तार करने या उसे चलाने के प्रयोजन के लिये या किसी उद्योग में आनुपंगिक किसी अन्य प्रयोजन के लिये बेची गई मशीनरी या अन्य सामग्रियों का भाड़ा क्य पर या अन्यथा विक्रय किया जाने संबंधी किसी प्रकार के, जो कि उक्त नियमों द्वारा किया गया हो, अधीन सेवा प्रभार के कारण, शास्ति के कारण, ब्याज के कारण, मशीनरी या अन्य सामग्रियों के मूल्य के कारण उक्त नियमों को देय होते हों;

(दो) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा किसी पट्टे या संविदा या करार के अधीन यथास्थिति भाडे पर दिये गये या बेचे गये किसी भवन के किराये के मूल्य के कारण उक्त नियमों को देय होते हों;

(तीन) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा दिये गये किसी उधार का या उक्त नियमों के साथ किये गये पट्टे या संविदा या करार के अधीन या उक्त निगमों के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगमों को शोध्य किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगमों को देय होते हों;

परंतु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धन राशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक की ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबंध निर्देशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र, की उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो।

(छ) समस्त धन जो –

(एक) नलकूपों, सन्निमाण संबंधी प्रभारों के कारण मध्यप्रदेश लिफ्ट ईरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों ;

(दो) किन्हीं उत्सिचन स्कीमों से सिंचाई के प्रयोजन से प्रदाय किये गये जल के मद्दे कर के कारण मध्यप्रदेश लिफ्ट ईरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों;

(तीन) मध्यप्रदेश लिफ्ट ईरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ निष्पादित किये गये किसी पट्टे, करार या संविदा के अधीन उक्त कार्पोरेशन को शोध्य किसी धन राशि के कारण देय होते हों ;

परंतु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धन राशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक की ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त कोर्पोरेशन के प्रबंध निर्देशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र, की उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो।

VI\\$ fu; e & राजस्व दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 336-सी-आर- 742-7-ना (नियम), दिनांक 11 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने 155 के पद (ग) के अधीन निम्नलिखित नियम बनाये हैं :–

fu; e

1. जहां कोई भी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी यह अपेक्षा करता है कि किसी भी धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसी रीति से हो जैसा भू-राजस्व संहित 1959 (क्रमांक 26 सन् 1959) धारा 155 के वाक्य (ग) में उपलब्ध हैं, वह लिखित आवेदन पत्र तहसीलदार या अन्य ऐसे राजस्व पदाधिकारी को देगा जो इस संहिता के अधीन बकाया वसूल करने के लिये अधिकृत किया जाय।

2. आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण होंगे :—

- (क) व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी जिसके प्रति धनराशि देय है;
- (ख) व्यक्ति जिसके धनराशि देय है;
- (ग) देय धन राशि;
- (घ) विधि का वह उपबंध जिसके अधीन धन राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य है।
- (ङ) आदेशिका जिसके द्वारा धन राशि वसूल की जाये; तथा
- (च) सम्पत्ति जिसके विरुद्ध आदेशिका का निष्पादन किया जाए।

3. आवेदन—पत्र की प्राप्ति पर राजस्व पदाधिकारी उसका निराकरण मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र 20 सन 1959) के तथा उसके आधीन नियमों के अनुसार करेगा।

4. ये नियम ऐसे प्रकरण या प्रकरणों की ऐसी श्रेणी से लागू नहीं होंगे जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा घोषित करें।

156- i frHkw I s /kukā dhl ol myh— प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के किन्हीं भी उपबन्धों के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति या किसी अनुदान, पट्टे या संविदा के जिसके अधीन प्रतिभूत धनराशि मूल देनदार से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य हो, अधीन प्रतिभू हो जाए, उस रकम का या उसके किसी भाग का, जिसका भुगतान न करने के लिये वह अपने प्रतिभू बन्धनामा के निबंधनों के अधीन दायी हो जाए, भुगतान न करने पर इस बात के लिए दायी हो जाएगा कि उसके विरुद्ध इस संहिता के उपबन्धों के अधीन उसी रीति में कार्यवाही की जाए जैसी भू-राजस्व के बकाया के लिए की जाती है।

n.M ifd; k | fgrk 1973  
(क्र 2, सन् 1974)  
/kkj k 129] 130] 131] 132] , o@ 133 ds m) j .k/

/kkj k 129 & fl foy cy ds i; kx }kj k teko dks fo[kj uk (Dispersal of assembly by use of Civil force)

(1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भरसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी उपनिरीक्षक के पद से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को, पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की सम्भाव्यता हो, बिखर जाने का समादेश दे सकेगा और ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार बिखर जायें ।

(2) यदि ऐसा कोई जमाव ऐसा समादेश दिये जाने पर भी नहीं बिखरे; या यदि ऐसा समादेश दिये बिना भी वह ऐसे प्रकार से आचरण करें, जिससे न बिखरने का उनका निश्चय दर्शित होता हो, तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपधारा (1) में निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा बिखेरने की कार्यवाही कर सकेगा और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य न हो और उस नाते कार्य न कर रहा हो, ऐसे जमाव को बिखेरने के प्रयोजन के लिए, और यदि यह आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसके अंग हो, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव बिखेरा जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दण्ड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकेगा ।

0; k[ ; k

विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में की गई है।  
इसके अनुसार—

विधि विरुद्ध जमाव पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा यदि उनका सामान्य उद्देश्य आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना हो—

- (i) केन्द्रीय या राज्य सरकार को,
  - (ii) संसद या विधान मण्डल को,
  - (iii) किसी लोक सेवक को जब वह ऐसे लोक सेवक की विधि—पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो,
- (2) किसी विधि के या विधि प्रक्रिया ( legal process ) के निष्पादन का प्रतिरोध करना,
- (3) कोई रिष्टि ( Mischief ) या आपराधिक अतिचार ( Criminal trespass ) या अन्य अपराधों का करना हो,

(4) किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक प्रदर्शन द्वारा—

- ( i ) किसी सम्पत्ति परा कब्जा कर लेना,
- ( ii ) किसी व्यक्ति को वंचित रखना—
- (क) किसी मार्ग के अधिकार से, या
- (ख) जल के उपयोग के अधिकार से, या
- (ग) किसी अमूर्त अधिकार से जिसका कि वह अधिकार रखता हो या उपयोग करता हो या

(घ) किसी अधिकार या माने हुए अधिकार को लागू करना हो,

(5) किसी व्यक्ति को वाध्य करना —

( i ) कि वह कोई ऐसा कार्य करे जिसे करने के लिए वह वैध रूप से बाध्य न हो,

( ii ) कार्यलोप ( Omission ) करने के लिए जिसे करने के लिए उसे वैध रूप से अधिकार हो।

कोई जमाव विधि विरुद्ध जमाव है या नहीं, इस बात का निर्धारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 के आधार पर किया जायेगा।

इस प्रकार जमाव को बिखेरने या तितर बितर करने के लिए प्रथमतः आदेश से काम नहीं चलने पर बल का प्रयोग किया जाता है।

*/kkjk 130 & tekodh fc[kjus ds fy, I 'kL=k cy dk it kx ¼ Use of armed force to disperse assembly½*

(1) यदि कोई जमाव अन्यथा न बिखेरा जा सके और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक हो कि उसको बिखेरा जाय तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे बिखेरवा सकेगा।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्रा बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्रा बल की मदद से बिखेर दे और उसके अंगभूत ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दें या जिन्हें जमाव को बिखेरने या उन्हे विधि के अनुसार दण्ड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक हो, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन उस रीति से करेगा जो वह ठीक समझे, किन्तु ऐसा करने में उस न्यूनतम बल का प्रयोग करेगा और शरीर तथा सम्पत्ति को वह न्यूनतम क्षति पहुँचायेगा जो उस जमाव को बिखेरने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए अपेक्षित हो।

/kkj k 131 & teko dks fc [kj us dh | 'kL= cy ds dN vf/kdkfj ; k9 dh 'kfDr

#### **½Power of certain armed force officers to disperse assembly½**

जब लोक सुरक्षा किसी ऐसे जमाव द्वारा स्पष्ट रूप से संकटापन्न हो और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क न किया जा सके जब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से बिखेर सकेगा और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जो उसके अंग हों, ऐसे जमाव को बिखेरने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दण्ड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकेगा, किन्तु यदि उस समय, जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा हो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना उसके लिए साध्य हो जाय तो वह ऐसा करेगा और तदनन्तर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा ।

/kkj k 132 & iDbrh /kkj k ds v/khu fd; s x; s dk; k9 ds fy, vfhk; kstu l s l j {k. k

#### **½Protection against prosecution for acts done under preceding sections½**

(1) किसी कार्य के लिए, जो धारा 129, धारा 130, या धारा 131 के अधीन किया गया तात्पर्यित हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दण्ड न्यायालय में –

(क) जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य हो वहां केन्द्रीय सरकार की मन्जूरी के बिना;

(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मन्जूरी के बिना, संस्थित न किया जायेगा।

(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के ;

(ख) धारा 129 या धारा 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के ;

(ग) धारा 131 के अधीन सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के, तथा

(घ) जिस आदेश का पालन करने के लिये वह आवद्ध हो उसके पालन में किये गये किसी कार्य के लिये सशस्त्र बल के किसी सदस्य के ;

बारे में यह न समझा जाएगा कि उसने तद्द्वारा कोई अपराध किया है।

(3) इस अध्याय की इस धारा और पूर्ववर्ती धाराओं में –

(क) “सशस्त्र बल” पद से भूमि बल के रूप में कियाशीन सेना, नौ सेना और वायु सेना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संघ के इस प्रकार कियाशील कोई अन्य सशस्त्र बल भी है;

(ख) सशस्त्र बल के सम्बन्ध में “अधिकारी” से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतन भोगी व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत कन्ष्ठ आयुक्त, आफिसर, वारन्ट आफिसर, अनायुक्त ऑफिसर तथा अराजपत्रित अधिकारी भी हैं,

(ग) सशस्त्र बल के सम्बन्ध में “सदस्य” से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उनका कोई सदस्य अभिप्रेत है।

#### /kkjk 133& vi nkk.k gVkus ds fy; s | 'k= vkn\\$ k %Conditional order for removal of nuisance%

(1) जब जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्य पालक मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इतिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि काई हो) लेने पर, जैसा कि वह ठीक समझें, विचार करे कि—

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसारणी से जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है, या लाई जा सकती है, कोई विधि-विरुद्ध बाधा या अपदूषण हटाया जाना चाहिये, अथवा

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या वाणिज्य को रखना समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिये क्षतिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित होना चाहिये या ऐसा माल या वाणिज्य हटा दिया जाना चाहिये या उसका रखना विनियमित होना चाहिये, अथवा

(ग) किसी निर्माण का बनाया जाना या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकाण्ड या विस्फोट हो जाये निवारित या बन्द कर दिया जाना चाहिए, अथवा

(घ) कोई निर्माण, तम्बू संरचना या वृक्ष ऐसी दशा में है कि सम्भाव्य है कि वह गिर जाये और पड़ोस में रहने या कार्य करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे क्षति हो, अतः ऐसे निर्माण, तम्बू या संरचना को हटाना या उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है, अथवा

(ङ.) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुंए या उत्खात को बाढ़ इस प्रकार से लगा देनी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके, अथवा

(च) यदि भयानक जीव जन्तु को नष्ट, परिस्फुट या अन्यथा व्ययनित किया जाना चाहिये, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या अपदूषण पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या वाणिज्य को रखने वाले या ऐसे निर्माण, तम्बू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले या ऐसे

जीवजन्तु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुये सशर्त आदेश दे सकेगा कि उतने समय के अन्दर, जो उस आदेश में नियत किया जायेगा, वह—

- (i) बाधा या अपदूषण को हटा दे, अथवा
- (ii) ऐसे व्यापार या उपजीविका को चलाने से प्रतिविरत हो जाये या उसे ऐसी रीति से हटाये या विनियमित करे अथवा ऐसे माल या वाणिज्य को हटाये या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जिसका निर्देश दिया जाये, अथवा
- (iii) ऐसा निर्माण बनाना, निवारित या बन्द करे या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे, अथवा
- (iv) ऐसे निर्माण, तम्बू या संरचना को हटाये या उनमें आलम्ब लगाये, अथवा
- (v) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाये, अथवा
- (vi) ऐसे भयानक जीव जन्तु को उस रीति से नष्ट, परिस्रद्ध य व्ययनित करे, जो उस आदेश में उपबन्धित है,

अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करे तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जायेगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित प्रकार के कारण दर्शित करे कि क्यों न उस आदेश को अन्तिम कर दिया जाये।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिये गये किसी भी आदेश के किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत न किया जायेगा ।

Li "Vidj .k— “लोक—स्थान” के अन्तर्गत राज्य की सम्पत्ति, पड़ाव के मैदान या स्वच्छता या आमोद—प्रमोद के प्रयोजन के लिये खाली छोड़े गये मैदान भी है।

172- I euk<sup>o</sup> d<sup>h</sup> rkely ; k v<sup>ll</sup>; dk; bkgh I s cpus ds fy, Qjkj gks tkuk& जो कोई ऐसे लोक—सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैद्य रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से,

अथवा यदि समन, या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्त्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

173- I eu d<sup>h</sup> rkely dk ; k v<sup>ll</sup>; dk; bkgh dk ; k muds i dk'ku dk fuokj .k djuk – जो कोई किसी लोक—सेवक द्वारा, जो लोक—सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैद्य रूप से सक्षम हो, निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साक्ष्य निवारित करेगा,

अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना साक्ष्य निवारित करेगा ।

अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां कि वह विधिपूर्वक लगाया दुआ है, साशय हटायेगा,

अथवा किसी ऐसे लोक—सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधि पूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा, जो ऐसे लोक—सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिये वैद्य रूप से सक्षम हो,

वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा यदि समन, सूचना आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्त्ता द्वारा हाजिर होने के लिये या दस्तावेज पेश करने के लिये हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

228- ll; kf; d dk; bkgh ei cBs gq s ykd&I od dk I k'k; vi eku ; k ml ds dk; l ei fo/u – जो कोई किसी लोक—सेवक का उस समय जबकि ऐसा लोक—सेवक

न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा; या उसके कार्य में कोई में कोई विधि डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी; या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

### fj f"V ds fo"k; ē

425- fj f"V& जो कोई इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुये कि, वह लोक (Public) को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है; जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह \*\*fj f"V\*\* करता है।

Li "Vhdj.k 1 & रिष्टि के अपराध के लिये यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखें। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह या संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे।

Li "Vhdj.k 2 & ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि कहा जा सकेगी।

### n"Vkr

(क) ; की सदोष हानि कारित करने के आशय से ; की मूल्यवान् प्रतिभूति को d स्वेच्छया जला देता है। d ने रिष्टि की है।

(ख) ; की सदोष हानि करने के आशय से, उसके बफ-घर में d पानी छोड़ देता है, और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। d ने रिष्टि की है।

(ग) d इस आशय से ; की अंगूठी नदी में स्वेच्छया फेंक देता है कि ; को तदद्वारा सदोष हानि कारित करें। d ने रिष्टि की है।

(घ) d यह जानते हुये कि उसकी चीजबस्त (Effects) उस ऋण की तृष्णि के लिये, जो ; को उस द्वारा शोध्य है, निष्पादन में ली जाने वाली है, उस चीजबस्त को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की दृष्टि अभिप्राप्त करने में ; को निर्धारित कर दे और इस प्रकार ; को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छया संत्यक्त करा देता है। d ने रिष्टि की है।

(ङ) d एक पोत का बीमा करने के पश्चात् उसे इस आशय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छया संत्यक्त करा देता है। d ने रिष्टि की है।

(च) ; को, जिसने बाटमारी पर वन उधार दिया है, नुकसान कारित करने के आशय से d उस पोत को संत्यक्त करा देता है। d ने रिष्टि की है।

(छ) ; के साथ एक घोड़ा में संयुक्त संपत्ति रखते हुए ; को सदोष हानि कारित करने के आशय से d उस घोड़े को गोली मार देता है। d ने रिष्टि की है।

(ज) d इस आशय से और यह संभाव्य जानते हुए कि वह ; कि फसल को नुकसान कारित करे, ; के खेत में ढोरों का प्रवेश कारित कर देता है। d ने रिष्टि की है।

427- fjf"V ftI I s ipkI : i;s dk updI ku gkrk gs

जो कोई रिष्टि करेगा और एतद द्वारा 50 रूपये या उससे अधिक की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

430- fl pu I del dks {kfr djus ; k ty dks nk"ki wl ekMts }kjk fjf"V &

जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे कृषक प्रयोजनों के लिये, या मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं के जो संपत्ति है, खाने या पीने के या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जल प्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना वह संभाव्य जानता हो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

431- ykd I Md] iy] unl ; k ty I kj .kh dks {kfr igpdj fjf"V &

जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव जल सारणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहण के लिये अगम्य या कम निरापद बना दिया जाये या बना दिया जाना वह संभाव्य जानता हो; वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

432- ykd ty fudkl es updI kui n tylkyou ; k ck/kk djus }kjk fjf"V

&

जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक जल निकास में क्षतिप्रद या नुकसान प्रद जलप्लावन या बाधाकारित हो जाये, या होना वह संभाव्य जानता हो;

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

434- ykd i kf/kdkjh }kj k yxk; s x; s Hke fplg ds u"V djus ; k gVkus  
vkfn }kj k fjf"V&

जो कोई लोक सेवा के प्राधिकारी द्वारा लगाये गये किसी भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिन्ह, ऐसे भूमि चिन्ह के रूप में कम उपयोगी बन जाये, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

435- I ks : i ; s dk ; k %df"k mi t dh n'kk e% nl : i ; s dk upI ku dkfjr djus  
ds vk'k; I s vfku ; k foLQk/d i nkfkz }kj k fjf"V &

जो कोई किसी संपत्ति को सौ रूपये या उससे अधिक का या (जहां की संपत्ति कृषि उपज हो, वहां) दस रूपये या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह एतद् द्वारा ऐसा नुकसान कारित करेगा, अग्नि या विस्फोटक द्वारा रिष्टि करेगा; वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

## v̄ i j k / k̄s̄ d k | k̄j . k̄c ) f o o j . k

Li "Vhdkj d fVIIk.kh & इस अनुसूची के द्वितीय और सप्तम स्तंभों में की प्रविष्टिया, जिनके शीर्षक क्रमशः "अपराध" और "भारतीय दंड संहिता के अधीन दंड" है, भारतीय दंड संहिता की तत्संबंधी विभिन्न धाराओं में वर्णित अपराधों और दंडों की परिभाषाओं के रूप में, या उन धाराओं की संक्षिप्तियों के रूप में भी आशयित नहीं है, वरन् उस धारा के विषय के प्रति निर्देश के रूप में आशयित हैं जिनका संख्याक प्रथम स्तम्भ में दिया हुआ है।

धारा	अपराध	पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है या नहीं	प्रथम बार मामूली तौर पर समन निकाला जाएगा या वारंट	जमानतीय है या नहीं	शमनीय है या नहीं	भारतीय दंड संहिता के अधीन दंड	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6	7	8
228	न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठे हुये लोक-सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विध्न।	वारंट के बिना गिरफ्तार न करेगी	समन	अजामानतीय	अशमानीय	छः मास के लिये सादा कारावास या 1000रु. का जुर्माना या दोनों	अध्याय 35 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया हो।
427	रिष्टि और तदद्वारा पचास रूपये या उससे अधिक रकम का नुकसान कारित करना	वारंट के बिना गिरफ्तार न करेगी	वारंट	जमानतीय	शमनीय, जबकि हानि या नुकसान केवल वह हानि या नुकसान है जो प्राईवेट व्यक्ति को कारित हुआ है	दो वर्ष के लिये दोनों में से किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों	प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट अथवा प्रथम व द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट।
430	कृषिक प्रयोजनों आदि के लिये जल प्रदाय में कमी कारित करने द्वारा रिष्टि	वारंट के बिना गिरफ्तार न करेगी	वारंट	जमानतीय	शमनीय, जबकि हानि या नुकसान केवल वह हानि या नुकसान है जो प्राईवेट व्यक्ति को कारित हुआ है	पांच वर्ष के लिये दोनों में से किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों	सेशन न्यायालय, प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट अथवा प्रथम व द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट।

धारा	अपराध	पुलिस वारंट के बिन गिरफ्तार कर सकती है या नहीं	प्रथम बार मामूली तौर पर समन निकाला जाएगा या वारंट	जमानतीय है या नहीं	शमनीय है या नहीं	भारतीय दंड संहिता के अधीन दंड	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6	7	8
431	लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी, अथवा नाव्य जलसरणि को क्षति पहुंचाने और उसे यात्रा या संपत्ति प्रवहण के लिये अगम्य या कम निरापद बना देने द्वारा रिष्टि।	वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी	वारंट	अजमानतीय	अशमनीय	5 वर्ष के लिये दोनों में से किसी भाँति का कारावास या जुर्माना या दोनों	सेशन न्यायालय, प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट अथवा प्रथम व द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट।
432	लोक जल निकास में नुकसान प्रद जल प्लान या बाधा करित करने द्वारा रिष्टि	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
434	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि विन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि	वारंट के बिना गिरफ्तार न करेगी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	1 वर्ष के लिये दोनों में से किसी भाँति का कारावास या जुर्माना या दोनों	प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट अथवा प्रथम व द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट।
435	सौ रुपये या उससे अधिक का अथवा कृषि उपज की दशा में दस रुपये या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से अन्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि	वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	7 वर्ष के लिये दोनों में से किसी भाँति का कारावास या जुर्माना	सेशन न्यायालय, प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

I d kksku nt l djsu dh fVli .kh

(Notes of posting of Amendments)

सिंचाई अधिनियम, 1931 – Irrigation Act, 1931

क्रमांक	एकट क्रमांक सन्	प्रभावित धारा	संशोधन का स्वरूप	प्रयिष्टि दिनांक
1	2	3	4	5
<i>1/4½ u; se-i z dh LFkki uk ds i 'pkr~</i>				
1	क्र. 8, सन् 1935	—	1–3 वर्ष 1951 में शासन द्वारा प्रकाशित संस्करण में सम्मिलित	9187
2	क्र. 55, सन् 1948	—		
3	क्र. 25, सन् 1949	—		
4	क्र. 11, सन् 1945	12A, 40A, 68A 37, 59, 62, 71, 73, 75, 69	नई धारा स्थापित। धारा में संशोधन धारा प्रतिस्थापित	
5	क्र. 19, सन् 1948	अध्याय ix-A, ix-B	नया अध्याय स्थापित	
6	क्र. 50, सन् 1950	62(2)–(a)	उपधारा हटाई गयी	
7	क्र. 1, सन् 1953	91A	उपधारा प्रतिस्थापित	
8	क्र. 1, सन् 1956	अध्याय IV-A	नया अध्याय स्थापित	
<i>1/4½ u; se-i z dh LFkki uk ds i 'pkr~</i>				
1	(a) म.प्र. एडाप्शन आफ लाज आर्डर 1956 (b) म.प्र. एडाप्शन आफ लाज आर्डर 1957	अध्याय IX-B --	अध्याय विलेषित – महाकौशल क्षेत्र में पूर्ववत विस्तार।  Deputy Commisioner शब्द का Collector में परिवर्तन	
2	म.प्र. एक्सटेनशन आफ लाज एकट 1958	1(2), 1(3), 6, 14, 6-A, 18-A, 91-C, 30(1)(a), 89(A) (B)(C)(D)(E)	धारा प्रसिस्थापित नई धारा / उपधारा स्थापित	
3	क्र. 7, सन् 1960	58 (c)	धारा संशोधित	
4	क्र. 23, सन् 1960	4, 92(3) 4(a), अध्य. VIII-A	धारा प्रतिस्थापित नई स्थापनायें	
5	क्र. 13, सन् 1968	58-B 58(A),(C),(D),(E), (F),(H) and (J)	उपधारा विलोपित उपधारा प्रतिस्थापित	
6	क्र. 42, सन् 1973	3, 62, 99 15, 25, 45, 94 37(B), 44(A),(B) अध्याय. VI-B	धाराओं में संशोधन। नई धाराओं की प्रतिस्थापना नई उपधाराओं की स्थापना नई स्थापना	
7	क्र. 53, सन् 1976	92(6), (7)	नई उपधारा की स्थापना	9 / 87
8	क्र. 56, सन् 1976	92(4)	उपधारा विलोपित	

I d kksku ntz djus dh fVII . kh

(Notes of posting of Amendments)

सिंचाई नियम, 1974 – (Irrigation Rules 1974)

क्र.	अधिसूचा क्र.	प्रभावित नियम	संशोधन का स्वरूप	प्रविष्टि दिनांक
1	2	3	4	5
1	28 / 7 / G / 75 / 33 दिनांक 3-5-75	140	अंतिम तिथि में संशोधन	9 / 87
2	29 / 51 / 78 / ML / 3 3 दिनांक 30-6-78	71	नये नियम की प्रतिस्थापना	
3	F / 24 / 7 / 78 / ML / 31 दिनांक 7-8-79	—	राज्य के कार्यों हेतु समय—समय पर स्वीकृत जल दरें म.प्र. में भांडेर नहर प्रणाली पर भी लागू होंगी	
4	F / 27 / 3 / 77 / MM / 31 दिनांक 28-12-78	44, 48, 72	शब्द "Double" और "Thrice" का परिवर्तन	
5	F / 27 / 8 / 81 / MM / 39 दिनांक 6-11-82	(i) 2 (ii) 213 (k) (iii) 220 (iv) 221 to 231, 236, 237, प्रारूप-12 (v) 232, 238	उपनियम (x) और (y) जोड़े गये शब्द "ओसराबंदी" काटा गया वाक्य काटा गया शब्द "ओसराबंदी" को "वाराबंदी" में परिवर्तित किया गया शब्द "वाराबंदी" जोड़ा गया	
6	F / 29 / 78 / MM / 31 78 / IV दिनांक 31-3-83	84, 86	विद्यमान नियम की प्रतिस्थापना	
7	a. 29 / 78 / मल / 39 / 78 / II दिनांक 31-3-85	193	विद्यमान नियम की प्रतिस्थापना	
	b. F / 29 / 1 / 83 / MM / 31 दिनांक 10-7-85	193	ब्याज दर विर्णिदिष्ट करते हुए और प्रतिस्थापना	
8	F / 29 / 1 / B / 83 / MM / 31 / II दिनांक 5-11-87	39, 72 (b)	विद्यमान नियम की प्रतिस्थापना	

I d kksku ntz djus dh fVli . kh

(Notes of posting of Amendments)

कार्यकारी अनुदेश – (Executive Instructions)

क्र.	अधिसूचा क्र.	प्रभावित पैरा	संशोधन का स्वरूप	प्रविष्टि दिनांक
1	2	3	4	5
1	3236/3544/33/G/69 dtd 25-10-69	--	धारा 64 के अंतर्गत नये कार्यकारी अनुदेशों का प्रसारण	9/87
2	CR/38/78/मल/31 dtd 12-7-79	2, 2.2, 2.3, 2.4 & 6	इन पैरा को काटा गया और इनके स्थान पर नये पैरा 2, 2.2 (a), (b), (c), (d) एवं 6 जोड़े गये हैं	
3	F/CR/38/78/मन/71 dtd 14-4-80	2	स्पष्ट किया गया कि नये नियम 2 में निर्देश केवल "टेंक बेड कल्टीवेशन" के लिए हैं	
4	CR/38/38/MM/39 dtd 4-8-83	2, 2.2, 2.3, 2.4 & 6	विद्यमान पैराग्राफों को काटा गया तथा नया उपपैरा 2.2 जोड़ा गया	
5	169/80/वृ.म./31 dtd 25-11-83	--	गांधी सागर डूब क्षेत्र के पट्टे 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के माध्यम से	
6	CR/18/84/वृ.म./31 dtd 28-3-84		घास चराई हेतु निलामी बाबत् स्पष्टीकरण	